



मुख्यमंत्री वैश्वक नगरोदय योजना

योजना दिशा-निर्देश



नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश



संदेश



श्री ए.के. शर्मा
माठ मंत्री,
नगर विकास, नगरीय योजनार एवं
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग,
उत्तर प्रदेश।

समस्त प्रदेश वासियों के लिए अपार हर्ष और गौरव का विषय है कि माठ प्रधान मंत्री जी एवं माठ मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से नगर विकास विभाग द्वारा नगरों की आर्थिक क्षमता वृद्धि एवं सामाजिक आर्थिक विकास के दृष्टिगत दूरदर्शिता का परिचय देते हुए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं नवीन योजना ‘मुख्यमंत्री वैष्णव नगरोदय योजना’ का शुभारम्भ किया जा रहा है।

नगर विकास विभाग प्रदेश वासियों के जीवन स्तर में सुधार के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर तत्पर एवं प्रयासरत है। शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के निमित्त प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, रमार्ट सिटी एवं अमृत मिशन जैसी अनेक प्रगतिशील योजनाओं की शृंखला में एक और नाम समिलित होने जा रहा है, ‘मुख्यमंत्री वैष्णव नगरोदय योजना’।

यह योजना नगरीय निकायों को वैष्णव रूप प्रदान करने के उद्देश्य के साथ एक आन्दालेन के रूप में आरम्भ की जा रही है। प्रदेश के समस्त 762 नगरीय निकायों में यह योजना लागू की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप निकायों में समरूप सार्वजनिक/आर्द्ध सार्वजनिक अवसंरचनाओं का विकास एवं नागरिकों की जीवन-शैली में भी अभूतपूर्व उत्थान होगा।

प्रदेश वासियों की उन्नति का पथ प्रदर्शन करने वाली ‘मुख्यमंत्री वैष्णव नगरोदय योजना’ के शुभारम्भ की ढार्टिक शुभकामनाएं एवं सम्बन्धित सभी अधिकारीगणों को कर्मठता से कार्य करने के लिए साधुवाटा।

संदेश



श्री राकेश कुमार रानौर “गुरु”
मा० राज्य मंत्री,
नगर विकास, नगरीय योजनार एवं
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग,
उत्तर प्रदेश।

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि मा० प्रधान मंत्री जी एवं मा० मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से नगर विकास विभाग द्वारा अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं नवीन योजना **मुख्यमंत्री वैष्विक नगरोदय योजना** का शुभारम्भ किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश लगभग 20 करोड़ से अधिक आबादी वाला देश का सबसे बड़ा राज्य है और शहरों के प्रति लोगों के बढ़ते आकर्षण के कारण नगरीय निकायों के समृद्धिकरण और आर्थिक सुविधाएँ चुनौतीपूर्ण कार्य हैं। नगरों की आर्थिक क्षमता वृद्धि एवं सामाजिक आर्थिक विकास के द्वितीय नगरीय विकास विभाग द्वारा दूरदर्शिता का परिचय देते हुए योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश वासियों के जीवन स्तर में सुधार के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नगर विकास विभाग द्वारा नवीन तकनीकों एवं नवाचारों का उपयोग करते हुए प्रदेश में नगरीय जीवन के सर्वांगीण विकास की दिशा में कदम उठाते हुए ‘**मुख्यमंत्री वैष्विक नगरोदय योजना**’ की संकल्पना की गयी है।

यह योजना प्रदेश के समरत 762 नगरीय निकायों में लागू की जाएगी जिसके परिणामस्वरूप निकायों में समरूप सार्वजनिक/अट्टा सार्वजनिक अवसंरचनाओं का विकास एवं नागरिकों की जीवन-शैली में भी अभूतपूर्व उत्थान होगा।

राज्य की 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने एवं प्रदेश वासियों की उन्नति का पथ प्रदर्शन प्रशस्त करने वाली ‘**मुख्यमंत्री वैष्विक नगरोदय योजना**’ के शुभारम्भ की हार्दिक शुभकामनाएं।

संदेश



श्री अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
नगर विकास, नगरीय योजनार एवं
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रबल जन-शक्ति एवं सरकार की सर्वांगीण विकास की दूरदर्शी विचारधारा ने भारत को विश्व पटल पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। जनसंरक्षा की दृष्टि से दूसरे पायदान पर रहने वाला हमारा देश सम्भावनाओं, अवसरों, उपलब्धियों और चुनौतियों से भरा पड़ा है।

एक और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ लगभग 20 करोड़ से अधिक आबादी निवास कर रही है, वहीं दूसरी ओर शहरों के प्रति लोगों के बढ़ते आकर्षण ने नगरीय निकायों के सुदृढ़ीकरण और आर्थिक संवर्द्धन को और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इसे प्राप्त करने हेतु समरूप विकास (Homogeneous Development) का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिये प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं और ढांचों (Infrastructure) को नये सिरे से बनाने व सुधारने का कार्य प्रगति पर है।

नगर विकास विभाग द्वारा नवीन तकनीकों एवं नवाचारों का उपयोग करते हुए प्रदेश में नगरीय जीवन के सर्वांगीण विकास की दिशा में कदम उठाते हुए 'मुख्यमंत्री वैष्णव नगरोदय योजना' का शुभारम्भ किया जा रहा है। इससे नागरिकों की जीवन शैली में व्यापक सुधार आयेगा तथा वैष्णव रतर की संरचना के साथ राज्य स्तर पर संचालित अन्य योजनाओं और भिशनों को 'मिशन टू मूवमेन्ट' का रूप प्रदान कर निकायों को वैष्णव रूप प्रदान किया जायेगा। इससे राज्य एवं निकायों की राजस्व क्षमता (Revenue Potential) में भी वृद्धि बनाया जायेगा।

यह योजना समरत 762 नगरीय निकायों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का गरता खोलेगी जिससे उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग प्राप्त होगा। नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पी0पी0पी0) अथवा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी0एस0आर0) के माध्यम से निवेश में अभिवृद्धि के मार्ग इस योजना के माध्यम से अनावृत हो जाएंगे।

'मुख्यमंत्री वैष्णव नगरोदय योजना' राज्य की 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होंगी। यह योजना न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगी अपितु अत्याधुनिक अवसंरचना के माध्यम से समरूप विकास को भी नई ऊर्जाओं तक ले जायेगी।

2024-25

विषय सूची

1. पृष्ठभूमि.....	6
2. सन्दर्भ.....	7
3. संकल्पना, उद्देश्य एवं विषिट्कोण	8
4. विस्तार, अवधि और आच्छादन	10
5. योजनान्तर्गत परियोजनाएं	11
6. पात्रता हेतु मानदंड.....	12
7. वित्तपोषण का तरीका.....	20
8. मूल्यांकन, प्रक्रिया और समय-सीमा	27
9. कार्यान्वयन संरचना एवं कार्य-प्रणाली	29
10. परिणाम	39
11. संलग्नक-1	40
12. संलग्नक-2	45
13. संलग्नक-3	46
14. संलग्नक-4	48
15. संलग्नक -5.....	52
16. संलग्नक -6.....	52

संक्षेपाक्षर


A&OE	Administration and Other Expenses
ACC	Autoclaved Aerated Concrete
ACS	Additional Chief Secretary
AI	Artificial intelligence
ASI	Archaeological Survey of India
BMPTC	Building Materials And Technology Promotion Council
BOO	Build-Own-Operate
BOT	Build-Operate-Transfer
C&DS	Construction and Design Services
CAPEX	Capital Expenditure
CFC	Central Finance Commission
COTS	Commercial Of the Shelf
CPWD	Central Public Works Department
CSR	Corporate Social Responsibility
DBFOT	Design-Build-Finance-Operate-and-Transfer Basis
DBT	Direct Benefit Transfer
DHQ	District Headquarter
DLB	Directorate of Local Bodies
DM	District Magistrate
DPR	Detailed Project Report
ECBC	Energy Conservation Building Code
EPC	Engineering Procurement and Construction.
FAR	Floor Area Ratio
FY	Financial Year
GO	Government Order
GPS	Global Positioning System
GRIHA	Green Rating for Integrated Habitat Assessment
IEC	Information Education and Communication
IGBC	Indian Green Building Council
IOT	Internet of Things
LEED	Leadership in Energy and Environmental Design
LOA	Letter of Offer and Acceptance
MC	Municipal Corporation
ML	Machine Learning
MLALAD	Member of Legislative Assembly Local Area Development Scheme
MLCP	Multilevel Car Parking
MPLAD	Members of Parliament Local Area Development Scheme
NIC	National Informatics Centre
NN	Nagar Nigam
NPP	Nagar Palika Parishad
NP	Nagar Panchayat

O&M	Operations and Maintenance
OMDA	Operation Maintenance and Development Agreement
PMC	Project Management Consultancy
PMU	Project Management Unit
PS	Principal Secretary
PTZ	Pan-Tilt-Zoom
PWD	Public Works Department
SE	Superintending Engineer
SFC	State Finance Commission
SUDM	State Urban Digital Mission
SUIC	State Urban Infrastructure Committee
TPQMA	Third Party Quality Monitoring Agencies
TTZ	Taj Trapezium Zone
UDD	Urban Development Department
UIDF	Urban Infrastructure Development Fund
URDPFI	Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation
VGF	Viability Gap Funding
WO	Work Order

1. पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश ने सन् 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य के आर्थिक विकास और परिवर्तन को सुगम करने के लिए, नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे शहरों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने में सुविधा होगी।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 19.95 करोड़ जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसमें से 15.51 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में और 4.45 करोड़ जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है। इस प्रकार, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.50% तथा कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग 11.8% उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 2001-2011 के दशक के दौरान नगरीय जनसंख्या की वृद्धि 1991-2001 के दौरान 31.80% के मुकाबले 28.75% रही है। सन् 2024 तक राज्य की नगरीय जनसंख्या 5.83 करोड़ होने का अनुमान है, जिसका तात्पर्य है कि 2001-2011 के दौरान 1.09 करोड़ के मुकाबले 1.38 करोड़ की वृद्धि होगी।



वर्ष 2019 से अब तक बढ़ती नगरीय जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 112 नई नगर पंचायतें बनायी गयी हैं जबकि 124 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किया गया है। 04 नगर पालिका उच्चीकृत व 42 नगर पालिका परिषदों का सीमा विस्तार किया गया है। इसके साथ ही 03 नगर निगम का सृजन तथा 07 नगर निगम की सीमाओं का विस्तार किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 762 नगरीय निकाय हैं, जिनमें से 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं, तथापि राज्य भर में जनसंख्या और भूमि क्षेत्र का वितरण एक समान नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगर निगमों के पास कुल नगरीय भूमि का 24% भाग उपलब्ध है, जिस पर 43% जनसंख्या निवास करती है। राज्य में शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति से स्पष्ट है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग 60% शामिल है।

उत्तर प्रदेश में शहरों की आर्थिक सम्भाव्य साधन को बढ़ाने के साथ-साथ, नगरीय अवसंरचना को बढ़ाने की ठोस जरूरत है जो सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दे, बड़े पैमाने पर नागरिकों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करे, उन्हें कार्य करने, खेलने और मिलने का अवसर प्रदान करें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो समाज के कमजोर वर्गों जैसे विशेष रूप से सक्षम लोगों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए लक्षित है। शहरी बुनियादी ढांचे में विकास से शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व के स्रोत बढ़ेंगे और बड़े पैमाने पर नागरिकों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

2. सन्दर्भ

सामाजिक-आर्थिक और उपयोगी अवसंरचना नागरिकों के जीवन की समग्र गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं और ऐसा मानदण्ड (बेंचमार्क) बनाते हैं, जिसके आधार पर सेवा वितरण को मापा जाता है। एक ओर वे नगरीय स्थानीय निकाय के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करते हैं जबकि दूसरी ओर वे बड़े पैमाने पर नागरिकों के लिए सार्वजनिक और अर्द्ध-सार्वजनिक स्थानों के रूप में कार्य करते हैं। अग्रतर ऐसी संरचना शहर की पहचान का एक महत्वपूर्ण संकेतक भी बनता है। योजनान्तर्गत विकसित की जाने वाली परियोजनाओं द्वारा निम्नलिखित संवर्द्धन किये गये हैं:-

- (1) आर्थिक शक्ति(Economic Vitality):** अच्छी तरह से डिजाइन किया गया सार्वजनिक स्थान और अर्द्ध-सार्वजनिक स्थान पर्यटकों और आगंतुकों को आकर्षित कर दुकानों, रेस्टरां और सांस्कृतिक आकर्षणों में उनके द्वारा अधिक व्यय करने के कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकता है। उक्त के अतिरिक्त, व्यवसायिक सार्वजनिक स्थान संपत्ति के मूल्यों को बढ़ा सकते हैं और कारबारों को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे नगरीय स्थानीय निकाय के लिए आर्थिक शक्ति और राजस्व संसाधनों में योगदान हो सकता है।
- (2) नगरीय कनेक्टिविटी और गतिशीलता (Urban Connectivity and Mobility):** सार्वजनिक क्षेत्र जैसे-ट्रान्जिट हब, पैदल पथ और मिश्रित उपयोग वाले विकास नगरीय कनेक्टिविटी और गतिशीलता में योगदान करते हैं। ऐसे क्षेत्र पैदल यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाते हैं, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देते हैं और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करते हैं, जिससे शहर की समग्र गतिशीलता में सुधार होता है।
- (3) पहुँच और समावेशिता(Accessibility and Inclusivity):** सार्वजनिक क्षेत्र समस्त निवासियों के लिए उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिये बिना सुलभ होते हैं, जो विविध पृष्ठभूमि और क्षमता वाले लोगों के लिए समावेशी स्थान उपलब्ध कराते हैं। सर्वसाधारण की पहुँच को ध्यान में रखकर इन स्थानों को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि सभी व्यक्ति इनका आनंद ले सकें और लाभ उठा सकें।
- (4) सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का परिरक्षण (Cultural and Historical Preservation):** सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थल चिह्न, स्मारक और विरासत स्थल सम्मिलित होते हैं, जो शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को बनाये रखते हैं। ऐसे स्थान न केवल शहरों की विरासत को संजोये रखते हैं, बल्कि स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को इसके इतिहास के बारे में शिक्षित भी करते हैं, जिससे गौरव की भावना और अतीत से जुड़ाव को बढ़ावा मिलता है।
- (5) सामुदायिक सम्पर्क और सामाजिक एकता (Community Interaction and Social Cohesion):** सार्वजनिक स्थल जैसे-पार्क, प्लाज़ा चौक इत्यादि नागरिकों के लिए मिलन स्थल के रूप में काम करते हैं, सामुदायिक सम्पर्क और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। ऐसे स्थान लोगों को आमोद-प्रमोद सम्बन्धी क्रिया-कलापों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने अथवा एक-दूसरे से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं।
- (6) स्वास्थ्य और कल्याण (Health and Well-being):** सुगम हरित क्षेत्र और मनोरंजन क्षेत्र नागरिकों के शारीरिक और मानसिक कल्याण में योगदान करते हैं। पार्क और खेल के मैदान स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देते हुए व्यायाम, विश्राम और तनाव से राहत के अवसर प्रदान करते हैं।
- (7) आपदा सामर्थ्य (Disaster Resilience) :** सार्वजनिक स्थान प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान आपातकालीन आश्रयों या निकासी स्थल के रूप में काम कर सकते हैं। महायोजना (मास्टर प्लान) में इन स्थानों को सम्मिलित करने से शहर की सामर्थ्य और संकटों से निपटने की तैयारी सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।
- (8) पर्यावरणीय संवर्द्धन (Environmental Sustainability):** सार्वजनिक क्षेत्र बहुधा हरित क्षेत्र व नगरीय वन शामिल होते हैं, जो नगरीय तापमान कम करने, वायु गुणवत्ता में सुधार करने और नगरीय वन्य जीवों के लिए आश्रय प्रदान करने में मदद करते हैं। ऐसे स्थान कार्बन उत्सर्जन को कम करके और जैव विविधता को बढ़ाकर नगर की समग्र पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हैं।

संक्षेप में, सार्वजनिक और अर्द्ध-सार्वजनिक अवसंरचना सामुदायिक कल्याण, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक संवर्धन को बढ़ावा देकर शहरों की जीवंतता, स्थिरता और सामर्थ्यता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3. संकल्पना, उद्देश्य एवं अभिगम

3.1 संकल्पना (Vision)

उत्तर प्रदेश के सभी नगरीय स्थानीय निकायों में समरूप (homogenous) सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को प्रतिस्पर्द्धात्मक अभिगम (Competitive Approach) के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए इस योजना का उद्देश्य सभी नगरीय नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, रहने की क्षमता में वृद्धि करना, बढ़े हुए नगरपालिका राजस्व के लिए रास्ते बनाना और शहरों के योगदान में तेजी लाना है। एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के साथ-साथ महत्वाकांक्षी नगरीय आबादी की भविष्य की जरूरतों के लिए शहरों को तैयार करना।

सीएम-वीएनवाई का लक्ष्य उद्देश्य और अभियान के अभिगम ("मिशन टू मूवमेंट") के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी नगरीय स्थानीय निकायों में केंद्र और राज्य योजना के तहत बनाए गए सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है।

3.2 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aim and Objectives)

- 1- उत्तर प्रदेश के सभी नगरीय स्थानीय निकायों में समरूप एवं समान सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक बुनियादी सुविधायें सुनिश्चित करना है।
- 2- शहरों के लिए स्थापित सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को समग्र रूप से प्राप्त करना है।
- 3- नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने के लिए नये अवसर सृजित करने हेतु नगरीय निकायों को प्रोत्साहित करना, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
- 4- नगरीय स्थानीय निकायों में पी0पी0पी0/सी0एस0आर0 के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करना है।
- 5- समस्त नगरीय स्थानीय निकायों (ULBs) के लिए राज्य स्तर पर परिसंपत्तियों की सूची बनाना है।
- 6- 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य के समस्त शहरों में रहने की क्षमता और आर्थिक अवसरों को बढ़ाना है।
- 7- नगरीय नागरिकों की भावी पीढ़ी के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए शहरों को तैयार करना है।

3.3 अभिगम (Approach)

मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना (CM-VNY) राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास, समानता और पर्यावरण को बढ़ाने के लिए लिए 3 E अभिगम अपनाती है।

- **आर्थिक वृद्धि (Economic Growth)-** योजना का लक्ष्य राज्य के सभी नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक अवसंरचना के विकास के लिए विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं, राज्य प्रायोजित योजनाओं, व्यवहार्यता अंतर निधि (Viability Gap Funding), सार्वजनिक निजी भागीदारी, विकास एजेंसियों के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों को एकजुट करना है।

- समानता (Equity)-** योजना का लक्ष्य राज्य में एक ही श्रेणी की समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक अवसंरचना की उपलब्धता के लिये एक मानदण्ड (बेंचमार्क) बनाना है।
- पर्यावरण (Environmental)-** सीएम-वीएनवाई का लक्ष्य शहरी क्षेत्र में हरति क्षेत्र (Green Space), शहरी वन (City Forest), वृक्षारोपण (आबोरिकल्चर), जलाशयों (वेटलैंड्स) आदि को विकसित करना है, जो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन व शमन और कार्बन पृथक्करण में मदद करेगा।



- विविध योजनाओं में संवर्धित अभिसरण
- नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व में वृद्धि



- समरूप अवसंरचना
- सभी नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक अवसंरचना तक पहुंच में वृद्धि



- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन
- कार्बन पृथक्कीकरण
- संसाधन दक्षता में सुधार

चित्र: 02

4. विस्तार, अवधि और आच्छादन

4.1 विस्तार

इस योजना के अन्तर्गत नवीन परियोजनाओं पर विचार किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत नए भवन ब्लॉकों का निर्माण करके विद्यमान परिसर/संकुलों के महत्व को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। केवल विशेष परिस्थिति और राज्य नगरीय अवसंरचना समिति के अनुमोदन पर विद्यमान परिसर के विस्तार पर विचार किया जाएगा।

4.2 अवधि

यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से पांच वर्षों के लिए कार्यान्वित की जाएगी।

4.3 आच्छादन

योजना से उत्तर प्रदेश के समस्त 762 नगरीय स्थानीय निकाय आच्छादित होंगे।

5. योजनान्तर्गत परियोजनाएं

- सीएम-वीएनवाई के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणी के तहत परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा:
- नीचे दी गई सूची के अतिरिक्त नगर विकास विभाग राज्य नगरीय अवसंरचना समिति (SUIC- State Urban Infrastructure Committee) के अनुमोदन के आधार पर कोई विशिष्ट परियोजना शुरू कर सकता है।



A - प्रशासनिक

- कार्यालय भवन
- को-वर्किंग स्पेस



B-आर्थिक

- वर्किंग वूमेन हास्टल
- फूड स्ट्रीट हब /रात्रि/ साप्ताहिक बाजार

- कियॉस्क
- मैकेनाइज्ड एवं अन्य प्रकार की स्मार्ट पार्किंग
- कौशल विकास केन्द्र



C-सामाजिक

- अनुभव केन्द्र (नगरीय संप्रहालय/ प्रदर्शनी स्थल/वाणिज्यिक स्थल)
- टाउन हॉल
- बारात घर
- सीनियर केयर सेन्टर
- रिटायरमेंट होम
- सभागार / आर्ट गैलरी एवं स्थान / प्रदर्शन कला केन्द्र

- बहुउद्देशीय स्थल (एम्फीथिएटर/ कम्युनिटी सेन्टर)
- कैफे / बुक कैफे
- पेट क्लीनिक / पार्क / आश्रय
- मेला/ सिटी ब्राइंडिंग
- निराश्रित गृह/रैन बसेरा
- पुस्तकालय/डिजिटल पुस्तकालय/स्टडी सेन्टर



D-स्वास्थ्य

- बहुउद्देशीय खेल सुविधाएं
- ओपेन जिम
- अर्बन प्लाजा

- पुनर्वास / नैदानिक केन्द्र/ कल्याण केन्द्र/योगशाला
- शिशु ग्रह (क्रेच)



E - पर्यावरण

- शहरी वन
- स्मृति/थीम /चिल्ड्रेन पार्क/ /मनोरंजन पार्क/ /वेस्ट टु वेस्ट पार्क
- अर्बन वेट लैण्ड
- सोलर पार्क

- आर्बोरिकल्वर/नर्सरी/हॉर्टिकल्वर



F - विरासत /संरचना

- हेरिटेज स्ट्रीट एवं भवन संरक्षण
- लेस मेकिंग / नगरीय कला सजावट / स्ट्रीट फर्नीचर

- फुट ओवर ब्रिज
- घाट संरक्षण / कायाकल्प
- सी.सी. रोड नाली सहित*

6. पात्रता हेतु मानदंड

राज्य के समस्त नगरीय स्थानीय निकाय इस योजना के लिए पात्र हैं। सीएम-वीएनवाई के प्रयोजन के लिए नगरीय स्थानीय निकायों को उनके प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र व संरचनात्मक और जनसंख्या के आधार पर तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है:-

श्रेणी : 1	नगर निगम (3 लाख से अधिक जनसंख्या)
श्रेणी : 2	नगर पालिका परिषद एवं जिला मुख्यालय (1 लाख से अधिक जनसंख्या)
श्रेणी : 3	नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतें और जिला मुख्यालय (1 लाख से कम जनसंख्या)

6.1 श्रेणी 1

राज्य के समस्त नगर निगम (3 लाख से अधिक जनसंख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर योजना में आते हैं:-

- परियोजना का अनुमोदन "पहले आओ-पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा।
- एक वित्तीय वर्ष में, प्रति नगर निगम न्यूनतम आवंटन रु. 2.5 करोड़ रुपये होगा जबकि अधिकतम आवंटन रु. 50 करोड़ रुपये होगा।
- स्व-राजस्व (कर एवं करेत्तर) संग्रह को पूर्ववर्ती वर्ष (आधार वर्ष 2022-23) की तुलना में 25% तक बढ़ाया जाएगा।
- बजट आवंटन प्रति नगरीय स्थानीय निकाय जनसंख्या (भारांक 90%) एवं क्षेत्रफल (भारांक 10%) के अनुपात में किया जायेगा।
- विशेष परिस्थिति में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रति नगरीय स्थानीय निकाय को अधिकतम रु. 100 करोड़ तक अतिरिक्त अनुदान दिया जा सकता है:-
 - पूर्ववर्ती वर्ष (आधार वर्ष 2022-23) की तुलना में नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा 50% से अधिक (कर एवं करेत्तर) राजस्व वृद्धि।
 - नवोन्मेषी परियोजनाएँ
 - राजस्व उत्पादक परियोजनाएँ
 - राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएँ
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के अन्तर्गत निजी भागीदारों द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं को पहले लिया जाएगा और "प्राथमिकता पर" अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त, उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो सांसद निधि/विधायक निधि और अन्य विभागों द्वारा अन्य योजनाओं के अभिसरण निधियों (Convergence Funds) का उपयोग करते हैं।
- जिन क्षेत्रों में केंद्रीय या राज्य क्षेत्र की चालू योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, वहां सीएम-वीएनवाई के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं का अभिसरण (Convergence) सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
- नगरीय और क्षेत्रीय विकास योजना विनिर्माण और कार्यान्वयन (URDPFI) के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर नगरीय स्थानीय निकाय (ULB) अंतर मूल्यांकन (Gap assessment) करेगा और तदनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
- नगरीय स्थानीय निकाय संलग्नक-4 में दिए गए विवरण के अनुसार शहरी अवसंरचना अभियान योजना (Vision Plan) तैयार करेगी।

10. अनुमोदन के लिए परियोजना प्रस्तुत करने से पहले, नगरीय स्थानीय निकाय एक वित्तीय व्यवहार्यता विश्लेषण और सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (जहां भी लागू हो) करेगा, जिसकी रिपोर्ट परियोजना के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
11. परियोजनाओं के निर्माण के लिए नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा भार मुक्त भूमि उपलब्ध करायी जाएगी।
12. रु. 5 करोड़ से ऊपर लागत की सभी वाणिज्यिक परियोजनाएं ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC), विद्युत मंत्रालय का पालन करेंगी।
13. दिशा-निर्देश के प्रस्तर-7.2 में वर्णित विस्तृत पीपीपी प्रथाओं (PPP) के आधार पर पीपीपी प्रणाली में प्रचालन और अनुरक्षण (O & M) के लिए प्रावधान किया जाएगा।
14. भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (BMTPC) और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा सूचीबद्ध टिकाऊ निर्माण प्रौद्योगिकी को परिनियोजित करने वाली परियोजना को प्राथमिकता दी जाएगी।

श्रेणी 1 के अन्तर्गत समस्त नगरीय स्थानीय निकाय शहरी अवसंरचना विकास योजना में दी गई प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित परियोजनाओं में से चुनने के लिए पात्र हैं:

तालिका-01

स्ट्रीम-1	स्ट्रीम-2	स्ट्रीम-3
<ol style="list-style-type: none"> 1. कार्यालय भवन 2. पुस्तकालय / डिजिटल पुस्तकालय एवं स्टडी सेन्टर 3. मैकेनाईज्ड एवं अन्य प्रकार की स्मार्ट पार्किंग 4. सीनियर केयर सेन्टर 5. वर्किंग वूमेन हास्टल 6. बहुउद्देशीय खेल सुविधाएं 7. रिटायरमेन्ट होम 8. बारात घर 9. फूड स्ट्रीट हब / रात्रि / साप्ताहिक बाजार 10. पेट क्लीनिक / पार्क / आश्रय 11. ओपेन जिम 12. बहुउद्देशीय स्थल (एम्फीथिएटर/ कम्युनिटी सेन्टर) 13. कियाँस्क 14. आर्बोरिकल्चर / नर्सरी / हॉर्टिकल्चर 	<ol style="list-style-type: none"> 1. को-वर्किंग स्पेस 2. टाउन हॉल 3. कैफे/ बुक कैफे 4. सभागार/आर्ट गैलरी एवं स्थान/ प्रदर्शन कला केन्द्र 5. अनुभव केन्द्र (नगरीय संग्रालय/प्रदर्शनी स्थल/ वाणिज्यिक स्थल) 6. मेला/सिटी ब्राण्डिंग 7. घाट संरक्षण/कायाकल्प 	<ol style="list-style-type: none"> 1. शिशु गृह(क्रेच) 2. अर्बन प्लाजा 3. हेरिटेज स्ट्रीट एवं भवन संरक्षण 4. प्लेस मेकिंग/नगरीय कला सजावट/स्ट्रीट फर्नीचर 5. फुट ओवर ब्रिज 6. पुनर्वास / नैदानिक केन्द्र/ कल्पाण केन्द्र/ योगशाला 7. अर्बन वेट लैण्ड 8. निराश्रित गृह /रैन बसेरा 9. कौशल विकास केन्द्र

स्ट्रीम-1	स्ट्रीम-2	स्ट्रीम-3
15. स्मृति/थीम/चिल्ड्रेन पार्क/ मनोरंज पार्क/ वेस्ट टु वंडर पार्क 16. शहरी वन 17. सोलर पार्क 18. सी.सी. रोड नाली सहित*		

टिप्पणी-

- नगरीय स्थानीय निकाय अपनी आवश्यकता और सीएम-वीएनवाई के अन्तर्गत गठित राज्य नगरीय अवसंरचना समिति द्वारा अनुमोदन के अनुसार उपरोक्त सूची के अतिरिक्त कोई अन्य विशिष्ट परियोजना प्रस्तावित कर सकते हैं।
- *सीएम-वीएनवाई परियोजना के अन्तर्गत 'सीसी रोड नाली सहित' श्रेणी का चयन नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी शर्त पर किया जा सकता है:-
 - योजना के अन्तर्गत प्रति नगरीय स्थानीय निकाय को स्वीकृत धनराशि का अधिकतम 10 प्रतिशत।
 - अथवा
 - पिछले वित्तीय वर्ष से राजस्व संग्रह में अनुपातिक 10 प्रतिशत की वृद्धि (योग्यता मानदण्ड से ऊपर)।
 - उपरोक्त में से न्यूनतम धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

6.2 श्रेणी 2

इस श्रेणी में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषद और जिला मुख्यालय (2011 की जनगणना के अनुसार) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर योजना में आते हैं:-

1. परियोजना का अनुमोदन "पहले आओ-पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा।
2. एक वित्तीय वर्ष में श्रेणी 2 के लिए प्रति नगरीय स्थानीय निकाय न्यूनतम आवंटन रु. 25 लाख रुपये होगा जबकि अधिकतम आवंटन रु. 20 करोड़ रुपये होगा।
3. स्व-राजस्व (कर एवं करेल्तर) संग्रह को पूर्ववर्ती वर्ष (आधार वर्ष 2022-23) की तुलना में 15% तक बढ़ाया जाएगा।
4. बजट आवंटन प्रति नगरीय स्थानीय निकाय जनसंख्या (भारांक 90%) एवं क्षेत्रफल (भारांक 10%) के अनुपात में किया जायेगा।
5. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली के अन्तर्गत निजी भागीदारों द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं को पहले लिया जाएगा और "प्राथमिकता पर" अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त, उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो सांसद निधि/विधायक निधि और अन्य विभागों द्वारा अन्य योजनाओं के अभिसरण निधियों (Convergence Funds) का उपयोग करते हैं।
6. जिन क्षेत्रों में केंद्रीय या राज्य क्षेत्र की चालू योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, वहां सीएम-वीएनवाई के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं का अभिसरण (Convergence) सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

7. नगरीय और क्षेत्रीय विकास योजना विनिर्माण और कार्यान्वयन (URDPFI) के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर नगरीय स्थानीय निकाय (ULB) अंतर मूल्यांकन (Gap assessment) करेगा और तदनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।
8. नगरीय स्थानीय निकाय संलग्नक-4 में दिए गए विवरण के अनुसार शहरी अवसंरचना अभियान योजना (Vision Plan) तैयार करेगी।
9. अनुमोदन के लिए परियोजना प्रस्तुत करने से पहले, नगरीय स्थानीय निकाय एक वित्तीय व्यवहार्यता विश्लेषण और सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (जहां भी लागू हो) करेगे, जिसकी रिपोर्ट परियोजना के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
10. परियोजनाओं के निर्माण के लिए नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा भार मुक्त भूमि उपलब्ध करायी जाएगी।
11. रु. 5 करोड़ से ऊपर लागत की सभी वाणिज्यिक परियोजनाएं ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC), विद्युत मंत्रालय का पालन करेंगी।
12. दिशा-निर्देश के प्रस्तर-7.2 में वर्णित विस्तृत पीपीपी प्रथाओं (PPP) के आधार पर पीपीपी प्रणाली में प्रचालन और अनुरक्षण (O & M) के लिए प्रावधान किया जाएगा।
13. भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (BMTPC) और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा सूचीबद्ध टिकाऊ निर्माण प्रौद्योगिकी को परिनियोजित करने वाली परियोजना को प्राथमिकता दी जाएगी।

श्रेणी 2 के अन्तर्गत समस्त नगरीय स्थानीय निकाय शहरी अवसंरचना विकास योजना में दी गई प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित परियोजनाओं में से चुनने के लिए पात्र हैं:

तालिका-02

स्ट्रीम-1	स्ट्रीम-2	स्ट्रीम-3
<ol style="list-style-type: none"> 1. कार्यालय भवन 2. पुस्तकालय /डिजिटल पुस्तकालय/स्टडी केन्द्र 3. बारात घर 4. बहुउद्देशीय खेल सुविधाएं 5. फूड स्ट्रीट हब/ रात्रि / साप्ताहिक बाजार 6. पेट क्लिनिक / पार्क/आश्रय 7. बहुउद्देशीय स्थल (एम्फीथिएटर/कम्युनिटी सेन्टर) 8. कियॉस्क 9. आर्बोरिकल्चर / नर्सरी/ हॉर्टिकल्चर 10. स्मृति/थीम/चिल्ड्रेन पार्क/मनोरंजन पार्क/ वेस्ट टु वंडर पार्क 11. सोलर पार्क 12. सी.सी. रोड नाली सहित* 	<ol style="list-style-type: none"> 1. टाउन हाल 2. कैफे/ बुक कैफे 3. अनुभव केन्द्र (नगरीय संग्रहालय/प्रदर्शनी स्थल/वाणिज्यिक स्थल) 4. मेला/सिटी ब्राइंडिंग 5. घाट संरक्षण/कायाकल्प 	<ol style="list-style-type: none"> 1. हेरिटेज स्ट्रीट एवं भवन संरक्षण 2. स्थान निर्धारण/नगरीय कला सजावट/स्ट्रीट फर्नीचर 3. फुट ओवर ब्रिज 4. पुनर्वास / नैदानिक केन्द्र/ कल्याण केन्द्र/ योगशाला 5. कौशल विकास केन्द्र 6. शहरी वन 7. निराश्रित गृह/रैन बसेरा 8. अर्बन वेट लैण्ड

टिप्पणी-

- नगरीय स्थानीय निकाय अपनी आवश्यकता और सीएम-वीएनवाई के अन्तर्गत गठित राज्य नगरीय अवसंरचना समिति द्वारा अनुमोदन के अनुसार उपरोक्त सूची के अतिरिक्त कोई अन्य विशिष्ट परियोजना प्रस्तावित कर सकता है।
- *सीएम-वीएनवाई परियोजना के अन्तर्गत "सीसी रोड नाली सहित" श्रेणी का चयन नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी शर्त पर किया जा सकता है:-
 - योजना के अन्तर्गत प्रति नगरीय स्थानीय निकाय को स्वीकृत धनराशि का अधिकतम 10 प्रतिशत।
 - अथवा
 - पिछले वित्तीय वर्ष से राजस्व संग्रह में अनुपातिक 10 प्रतिशत की वृद्धि (योग्यता मानदण्ड से ऊपर)।
 - उपरोक्त में से न्यूनतम धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

6.3 श्रेणी 3

इस श्रेणी में 1 लाख से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषद और समस्त नगर पंचायतें एवं जिला मुख्यालय (2011 की जनगणना के अनुसार) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर योजना में आते हैं:-

1. परियोजना का अनुमोदन "पहले आओ-पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा।
2. एक वित्तीय वर्ष में श्रेणी 3 के लिए प्रति नगरीय स्थानीय निकाय न्यूनतम आवंटन रु. 10 लाख रुपये होगा जबकि अधिकतम आवंटन रु. 05 करोड़ रुपये होगा।
3. स्व-राजस्व (कर एवं करेतर) संग्रह को पूर्ववर्ती वर्ष (आधार वर्ष 2022-23) की तुलना में 10 % तक बढ़ाया जाएगा।
4. बजट आवंटन प्रति नगरीय स्थानीय निकाय जनसंख्या (भारांक 90%) एवं क्षेत्रफल (भारांक 10%) के अनुपात में किया जायेगा।
5. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली के अन्तर्गत निजी भागीदारों द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं को पहले लिया जाएगा और "प्राथमिकता पर" अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त, उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो सांसद निधि/विधायक निधि और अन्य विभागों द्वारा अन्य योजनाओं के अभिसरण निधियों (Convergence Funds) का उपयोग करते हैं।
6. जिन क्षेत्रों में केंद्रीय या राज्य क्षेत्र की चालू योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, वहां सीएम-वीएनवाई के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं का अभिसरण (Convergence) सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
7. नगरीय और क्षेत्रीय विकास योजना विनिर्माण और कार्यान्वयन (URDPFI) के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर नगरीय स्थानीय निकाय (ULB) अंतर मूल्यांकन (Gap assessment) करेगा और तदनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।
8. नगरीय स्थानीय निकाय संलग्नक-4 में दिए गए विवरण के अनुसार शहरी अवसंरचना अभिगम योजना (Vision Plan) तैयार करेगी।
9. अनुमोदन के लिए परियोजना प्रस्तुत करने से पहले, नगरीय स्थानीय निकाय एक वित्तीय व्यवहार्यता विश्लेषण और सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (जहां भी लागू हो) करेंगे, जिसकी रिपोर्ट परियोजना के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

10. परियोजनाओं के निर्माण के लिए नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा भार मुक्त भूमि उपलब्ध करायी जाएगी।
11. रु. 5 करोड़ से ऊपर लागत की सभी वाणिज्यिक परियोजनाएं ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC), विद्युत मंत्रालय का पालन करेंगी।
12. दिशा-निर्देश के प्रस्तर-7.2 में वर्णित विस्तृत पीपीपी प्रथाओं (PPP) के आधार पर पीपीपी प्रणाली में प्रचालन और अनुरक्षण (O & M) के लिए प्रावधान किया जाएगा।
13. भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (BMTPC) और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा सूचीबद्ध टिकाऊ निर्माण प्रौद्योगिकी को परिनियोजित करने वाली परियोजना को प्राथमिकता दी जाएगी।

श्रेणी 3 के अन्तर्गत समस्त नगरीय स्थानीय निकाय शहरी अवसंरचना विकास योजना में दी गई प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित परियोजनाओं में से चुनने के लिए पात्र हैं:

तालिका-03

स्ट्रीम-1	स्ट्रीम-2	स्ट्रीम-3
<ol style="list-style-type: none"> 1. कार्यालय भवन 2. पुस्तकालय /डिजिटल पुस्तकालय/स्टडी केन्द्र 3. बारात घर 4. बहुउद्देशीय खेल सुविधाएं 5. बहुउद्देशीय स्थल (एम्फीथिएटर/ कम्प्युनिटी सेन्टर) 6. सोलर पार्क 7. सी.सी. रोड नाली सहित* 	<ol style="list-style-type: none"> 1. फूड स्टूट हब / रात्रि/ साप्ताहिक बाजार 2. पेट क्लीनिक/ पार्क / आश्रय 3. घाट संरक्षण/कायाकल्प 	<ol style="list-style-type: none"> 1. अर्बन वेट लैण्ड 2. पुनर्वास / नैदानिक केन्द्र/ कल्याण केन्द्र/ योगशाला

टिप्पणी-

- नगरीय स्थानीय निकाय अपनी आवश्यकता और सीएम-वीएनवाई के अन्तर्गत गठित राज्य नगरीय अवसंरचना समिति द्वारा अनुमोदन के अनुसार उपरोक्त सूची के अतिरिक्त कोई अन्य विशिष्ट परियोजना प्रस्तावित कर सकता है।
- *योजना के अन्तर्गत "सीसी रोड नाली सहित" परियोजना भी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निम्न शर्तों/सीमा तक चयनित की जा सकेगी:-
 - *सीएम-वीएनवाई परियोजना के अन्तर्गत "सीसी रोड नाली सहित" श्रेणी का चयन नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी शर्त पर किया जा सकता है:-

अथवा

- पिछले वित्तीय वर्ष से राजस्व संग्रह में अनुपातिक 10 प्रतिशत की वृद्धि (योग्यता मानदण्ड से ऊपर)।
- उपरोक्त में से न्यूनतम धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

6.4 प्रतिस्पर्धा मानदण्ड

योजना के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकाय के लिए श्रेणी-1, 2 व 3 में परियोजनाओं के चयन के मानदंड निम्नवत् होंगे:-

1. राजस्व के आधार पर पात्रता का मापदण्ड

मानदंड	नगर निगम: जनसंख्या 3 लाख से अधिक	नगर पालिका परिषद एवं जिला मुख्यालय: जनसंख्या 1 लाख से अधिक	नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं जिला मुख्यालय: जनसंख्या 1 लाख से कम
राजस्व वृद्धि (न्यूनतम) (कर एवं करेतर)	25%	15%	10%

तालिका-04

2. उपरोक्त पात्र निकायों के मध्य जनसंख्या (भारांक 90 %) एवं क्षेत्रफल (भारांक 10%) के आधार पर बजट आवंटन का मानदण्ड

मानदंड	नगर निगम: जनसंख्या 3 लाख से अधिक	नगर पालिका परिषद एवं जिला मुख्यालय: जनसंख्या 1 लाख से अधिक	नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं जिला मुख्यालय: जनसंख्या 1 लाख से कम
न्यूनतम निधि- प्रति नगरीय स्थानीय निकाय (रूपये में)	250 लाख	25 लाख	10 लाख
बजट आवंटन-प्रति नगरीय स्थानीय निकाय	जनसंख्या (भारांक 90%) एवं क्षेत्रफल (भारांक 10%) के अनुपात में	जनसंख्या (भारांक 90%) एवं क्षेत्रफल (भारांक 10%) के अनुपात में	जनसंख्या (भारांक 90%) एवं क्षेत्रफल (भारांक 10%) के अनुपात में
अधिकतम निधि- प्रति नगरीय स्थानीय निकाय (रूपये में)	50 करोड़	20 करोड़	5 करोड़

तालिका-05

3. विशेष परिस्थितियों के मानदण्ड

विशेष परिस्थिति में प्रति नगर निगम को अधिकतम (रु0 100 करोड़) निधि (फण्ड) जारी किया जा सकता है	<ul style="list-style-type: none"> राजस्व वृद्धि 50% से अधिक नवोन्मेषी परियोजनाएँ राजस्व उत्पादक परियोजनाएँ राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं
---	---

नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना)

निधि स्रोत- (न्यूनतम 10 %) (वैकल्पिक)	सीएफसी/एसएफसी/सांसद निधि/विधायक निधि/सीएसआर/यूआई0डी0एफ/म्युनिसिपल बांड/कोई अन्य स्रोत इत्यादि
अन्य विभाग के माध्यम से निधि अभिसरण	परियोजना को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी
हाइब्रिड प्रौद्योगिकी	MoUHA के अन्तर्गत CPWD और BMTPC द्वारा सूचीबद्ध नई तकनीक और सामग्री का उपयोग करने वाली परियोजना को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता का अनुपालन	रु. 5 करोड़ से ऊपर लागत की सभी वाणिज्यिक परियोजनाएं ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC), विद्युत मंत्रालय का पालन करेंगी।

तालिका-06

7. वित्तपोषण का तरीका

7.1 बजट आवंटन

यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से आरम्भ होकर पांच वर्षों में कार्यान्वित की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना के लिए रु. 1000 करोड़ की धनराशि की विभागीय मांग के सापेक्ष रु. 500 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य आवंटित धनराशि का वितरण नगरीय क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के अनुपात में होगा। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परियोजना के लिए वित्तपोषण की सीमा नगरीय स्थानीय निकाय की श्रेणी पर तय की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त नगरीय स्थानीय निकाय अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं अथवा वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोत की खोज कर सकते हैं।

योजना के लिये निधि (Fund) यूडीआईएफ/वित्तीय मध्यस्थों और बाहरी सहायता/बहुपक्षीय अभिकरणों (एजेन्सी)/स्प्युनिसिपल बॉण्ड/सी.एस.आर. के अतिरिक्त अन्य से भी प्राप्त किया जा सकता है। योजनान्तर्गत आवर्ती व्यय वाली परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की जायेंगी। उपलब्ध बजट व्यवस्था के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति हेतु निम्नलिखित आवंटन संरचना विनिश्चत की गई है:-


(क) श्रेणी 1- समस्त नगर निगम (3 लाख से अधिक जनसंख्या): कुल बजट आवंटन का 40 प्रतिशत श्रेणी 1 के लिए आरक्षित किया गया है।

(ख) श्रेणी 2- नगर पालिका परिषद एवं जिला मुख्यालय: जनसंख्या 1 लाख से अधिक: कुल बजटीय आवंटन का 40 प्रतिशत श्रेणी 2 के लिए आरक्षित किया गया है।

(ग) श्रेणी 3- नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं जिला मुख्यालय: जनसंख्या 1 लाख से कम: कुल बजटीय आवंटन का 20 प्रतिशत श्रेणी 3 के लिए आरक्षित किया गया है।

निधि का वितरण

- नगर निगम (3 लाख से अधिक जनसंख्या)
- नगर पालिका परिषद एवं जिला मुख्यालय:
जनसंख्या >1 लाख
- नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं जिला मुख्यालय: जनसंख्या <1 लाख



चित्र-04

- (घ) बजट आवंटन प्रति नगरीय स्थानीय निकाय जनसंख्या (भारांक 90%) एवं क्षेत्रफल (भारांक 10%) के अनुपात में किया जायेगा।
- (ङ.) नगर निगम, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों के लिए अनुमोदित बजट आवंटन की धनराशि में मा० मंत्री, नगर विकास विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

7.2 परियोजना कार्यान्वयन मैट्रिक्स (Project Implementation Matrix)

योजना के अधीन पीपीपी परियोजनाओं के लिए सलाहकार और विकासकर्ता (डेवलपर्स) के चयन के लिए अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, 2016, यथा संशोधित, 2018 पीपीपी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाएगा।

व्यवहार्यता अध्ययन (Feasibility Study) और सुसंगत भागीदारों की उपस्थिति के आधार पर, नगरीय स्थानीय निकाय पीपीपी प्रणाली में कार्यान्वित किए जाने वाले चयन मैट्रिक्स से किसी भी परियोजना को चुनने पर विचार कर सकता है। कार्यान्वयन के निम्नलिखित तरीके सुझाए गए हैं, तथापि, पीपीपी प्रणाली पर कुछ मामलों में, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है परियोजनाओं को आंशिक रूप से वित्त पोषित करने की अनुमति है:-

तालिका-07

#	परियोजना/विवरण	द्वारा वित्त पोषित	अनुरक्षित	कार्यान्वयन मॉडल
A	प्रशासनिक			
A1	कार्यालय भवन	पीपीपी/यूडीडी/एमसी	संबंधित विभाग	डीबीएफओटी
A2	को-वर्किंग स्पेस	पीपीपी	पीपीपी	डीबीएफओटी
B	आर्थिक			
B1	वर्किंग वूमेन हास्टल	पीपीपी	पीपीपी	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी/रियायती मॉडल
B2	फूड स्टीट हब/रात्रि/ साप्ताहिक बाजार	पीपीपी	पीपीपी	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी/रियायती मॉडल
B3	कियाँस्क	पीपीपी	पीपीपी	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी/रियायती मॉडल

नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना)

#	परियोजना/विवरण	द्वारा वित्त पोषित	अनुरक्षित	कार्यान्वयन मॉडल
B4	मैकेनाइज्ड एवं अन्य प्रकार के स्मार्ट पार्किंग	पीपीपी	पीपीपी	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी/रियायती मॉडल
B5	कौशल विकास केन्द्र	यूडीडी/यूएलबी/सीएसआर	पीपीपी	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी/रियायती मॉडल
C	सामाजिक			
C1	अनुभव केन्द्र (नगरीय संग्रहालय/ प्रदर्शनी स्थल/वाणिज्यिक स्थल)	यूडीडी/ सीएसआर	एनएन/एनपी/एनपीपी	ओ एण्ड एम
C2	टाउन हॉल	यूडीडी/ अभिसरण	एनएन/एनपीपी	ओ एण्ड एम
C3	बारात घर	यूडीडी/ अभिसरण	एसएचजी/पीपीपी	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी
C4	सीनियर केयर सेन्टर	सीएसआर/यूडीडी/पीपीपी	एसएचजी/पीपीपी	डीबीएफओटी
C5	रिटायरमेन्ट होम	सीएसआर/यूडीडी/पीपीपी	एसएचजी/पीपीपी	डीबीएफओटी
C6	सभागार/आर्ट गैलरी एवं स्थान /प्रदर्शन कला केन्द्र	यूडीडी/ सीएसआर	एनएन/एनपी/एनपीपी	ओ एण्ड एम
C7	बहुउद्देशीय स्थल (एम्फीथिएटर/ कम्युनिटी सेन्टर)	यूडीडी/ सीएसआर	एनएन/एनपी/एनपीपी	ओ एण्ड एम
C8	कैफे/बुक कैफे	यूडीडी/ सीएसआर	एनएन/एनपी/एनपीपी	ओ एण्ड एम
C9	पेट क्लीनिक / पार्क / आश्रय	यूडीडी/ यूएलबी	पीपीपी/लीज/सेवा संविदा	डीबीटी
C10	मेला/ सिटी ब्राइंडिंग	यूडीडी/ यूएलबी	यूएलबी	बीओओ
C11	निराश्रित गृह/रैन बसेरा	यूडीडी/ यूएलबी	यूएलबी	बीओओ
C12	पुस्तकालय/डिजिटल पुस्तकालय/स्टडी सेन्टर	पीपीपी	पीपीपी	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी/रियायती मॉडल
D	स्वास्थ्य			
D1	बहुउद्देशीय खेल सुविधाएं	पीपीपी	पीपीपी	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी/रियायती मॉडल

नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना)

#	परियोजना/विवरण	द्वारा वित्त पोषित	अनुरक्षित	कार्यान्वयन मॉडल
D2	आपेन जिम	पीपीपी/सीएसआर	पीपीपी/सीएसआर	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी/रियायती मॉडल
D3	अर्बन प्लाजा	पीपीपी	पीपीपी	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी/रियायती मॉडल
D4	पुनर्वास/नैदानिक केन्द्र/कल्याण केन्द्र /योगशाला	यूडीडी/यूएलबी/पीपीपी	पीपीपी	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी/रियायती मॉडल
D5	नगरीय शिशु गृह (क्रेच)	यूडीडी/ सीएसआर/ अभिसरण	एनएन/एनपी/एनपीपी	डीबीएफओटी
E	पर्यावरण			
E1	शहरी वन	यूडीडी/यूएलबी	यूएलबी	बीओओ
E2	स्मृति/थीम /चिल्ड्रेन पार्क/मनोरंजन पार्क/वेस्ट टु वंडर पार्क	यूडीडी/सीएसआर/अभिसरण	एनएन/एनपी/एनपीपी	ओ एण्ड एम/डीबीएफओटी
E3	अर्बन वेट लैण्ड	यूडीडी/यूएलबी	यूएलबी	बीओओ
E4	सोलर पार्क	यूडीडी/यूएलबी/पीपीपी	यूएलबी	ओ एण्ड एम
E5	आबोरिकल्चर/ नर्सरी/हॉटिंकल्चर	यूडीडी/यूएलबी	यूएलबी	बीओओ
F	विरासत /संरचना			
F1	हेरिटेज स्ट्रीट एवं भवन संरक्षण	यूडीडी/सीएसआर	एनएन/एनपी/एनपीपी	ओ एण्ड एम
F2	स्थान निर्धारण/नगरीय कला सजावट/स्ट्रीट फर्नीचर	यूडीडी/सीएसआर	एनएन/एनपी/एनपीपी	ओ एण्ड एम
F3	फुट ओवर ब्रिज	यूडीडी/एमसी	एनएन/एनपी/एनपीपी	ओ एण्ड एम
F4	घाट संरक्षण/ कायाकल्प	यूडीडी/यूएलबी	यूएलबी	डीबीटी
F5	सी.सी. रोड नाली सहित*	यूडीडी/यूएलबी	यूएलबी	ओ एण्ड एम

टिप्पणी- पीपीपी प्रणाली में प्रचलित मॉडलों का विवरण "प्रचलित पीपीपी मॉडल" पर संलग्नक-06 पर है।

7.2.1 नगरीय स्थानीय निकाय हेतु पीपीपी के लिए दिशा-निर्देश

पीपीपी परियोजना पर विचार करते समय नगरीय स्थानीय निकाय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करेंगे:

- (क) नगरीय स्थानीय निकाय उपरोक्तानुसार या परियोजना की आवश्यकतानुसार किसी भी मॉडल के उपयोग का निर्धारण करेंगे।
- (ख) नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा सुनिश्चित की गई परियोजना का व्यवहार्यता और साध्यता के आधार पर पीपीपी में निष्पादन के किसी अन्य तरीके पर विचार कर सकता है।
- (ग) यदि नगरीय स्थानीय निकाय इस योजना के अन्तर्गत निजी अभिकरण (एजेंसी) को वीजीएफ के रूप में धनराशि, अनुदान या किसी भी प्रकार की अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो यह अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के पीपीपी गाईडलाईन्स, 2016 यथा संशोधित 2018 के अनुरूप किया जाएगा।
- (घ) फण्ड का उपयोग केवल उस परियोजना के निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाएगा, जिसके लिए वह निर्गत हो। सीएम-वीएनवाई के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकाय या राज्य सरकार द्वारा दी गयी धनराशि वेतन, प्रशासनिक और अन्य व्यय के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
- (ड.) योजना का समग्र पर्यवेक्षण, संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (च) नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा भारमुक्त भूमि प्रदान की जाएगी। ऐसे मामलों में जहां निजी भागीदार के पास भूमि है, वहाँ नगरीय स्थानीय निकाय परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक मंजूरी और अनापत्ति (NOC) प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेगा।
- (छ) योजना से संबंधित परियोजना, संचालन और अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त अनुबंध पर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।
- (ज) यदि फंडिंग करने वाला निजी भागीदार परियोजना के नामकरण का अधिकार प्राप्त करना चाहता है, तो नगरीय स्थानीय निकाय के बोर्ड की पूर्व मंजूरी लेनी होगी।
- (झ) परियोजनाएं केवल हस्तांतरणीय आधार पर होंगी। परियोजना की पट्टा अवधि समाप्त होने के पश्चात विभाग समस्त अवसंरचना और सम्पत्तियों को अपने पास वापस रखेगा।

7.3 अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण

नगरीय स्थानीय निकाय को उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण में परियोजनाएं प्रस्तावित करने की अनुमति है। ऐसी परियोजनाएं, जहां अभिसरण प्राप्त किया जा रहा है, उन्हें राज्य नगरीय अवसंरचना समिति (SUIC) द्वारा अनुमोदन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य विभाग के अन्तर्गत परियोजनाओं का बुनियादी ढांचा नगर विकास विभाग द्वारा विकसित किया जा सकता है, जिसके उपरान्त ऐसी परियोजना का स्वामित्व, संचालन और अनुरक्षण अभिसरण निधि (Convergence Fund) से संबंधित विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाएगा। जिन क्षेत्रों में केन्द्रीय या राज्य सेक्टर की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, वहाँ सीएम-वीएनवाई के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं का अभिसरण (Convergence) सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

7.4 वित्तपोषण के अन्य स्रोत

राज्य सरकार और पीपीपी द्वारा बजटीय आवंटन के अतिरिक्त नगरीय स्थानीय निकाय अपनी परियोजनाओं को निधि देने के लिए अन्य विकल्प की खोज कर सकते हैं। परियोजनाओं को वित्त पोषण करने वाले कुछ संभावित स्रोत हैं:

- (1) सीएसआर निधि
- (2) सीएसओ अनुदान
- (3) अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरणों (एजेंसी) द्वारा अनुदान
- (4) माननीय सांसद/विधायक विकास निधि
- (5) नगरीय अवस्थापना विकास निधि (UIDF)
- (6) म्युनिसिपल बॉण्ड

7.5 उत्तरदायित्व क्रियाविधि

योजना में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि को कार्यान्वयन संरचना में शामिल किया जाएगा:-

1. जियो टैगिंग और ड्रोन मैपिंग:

सीएम-वीएनवाई के तहत सभी परियोजनाओं को जियो-टैग किया जाएगा। सभी हितधारकों के लिए सटीक दस्तावेजीकरण और दृश्य साक्ष्य सुनिश्चित करते हुए, परियोजना स्थानों, प्रगति और गुणवत्ता पर सटीक, वास्तविक समय डेटा एकत्र करने के लिए ड्रोन मैपिंग की जाएगी।

2. नगरीय अवसंरचना निर्देशिका और डेटा बेस:

सभी परियोजनाओं पर जानकारी को केंद्रीकृत करने के लिए एक व्यापक शहरी बुनियादी ढांचा निर्देशिका और डेटाबेस बनाया जाएगा, जो राज्य शहरी डिजिटल मिशन के साथ अभिसरण करके बुनियादी ढांचे की संपत्तियों और गतिविधियों की आसान पहुंच, प्रबंधन और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

3. मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन अनुश्रवण:

नगरीय डिजिटल मिशन (एसयूडीएम) परियोजनाओं की वास्तविक समय की ऑनलाइन निगरानी के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करेगा, जो हितधारकों को प्रगति को ट्रैक करने, मुद्रों को रिपोर्ट करने और सीधे अपने मोबाइल उपकरणों पर अपडेट प्राप्त करने में सक्षम करेगा।

4. खाता संचालन एवं प्रबन्धन:

खाता संचालन एवं प्रबंधन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या ए-1-122/10-2012-10(33)-2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार किया जायेगा।

5. नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर सतत अनुश्रवण:

नगरीय स्थानीय निकाय (यूएलबी) परियोजनाओं की दिन-प्रतिदिन की निगरानी सुनिश्चित करने, समय पर हस्तक्षेप और परियोजना की समयसीमा और मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर निरंतर निगरानी सुनिश्चित करेगा।

6. अनुश्रवण के लिए प्रशासनिक और अन्य व्यय (A&OE):

उत्तरदायित्व क्रियाविधि स्थापित करने के लिए धन की आवश्यकता सीएम-वीएनवाई के तहत प्रशासनिक एवं अन्य व्यय (A&OE) खर्चों से पूरी की जाएगी।

7. लोक-सहभागिता और हितधारक (Stakeholders) परामर्शः

नगरीय स्थानीय निकाय को फीडबैक इकट्ठा करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और सामुदायिक विश्वास और समर्थन बनाने के लिए पूरे प्रोजेक्ट जीवनचक्र में सक्रिय नागरिक भागीदारी और हितधारक परामर्श को प्रोत्साहित करना होगा।

8. अन्य पक्ष द्वारा गुणवत्ता अनुश्रवण अभिकरण (TPQMA) :

परियोजना की निरंतर निगरानी के लिए नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा नियमित आधार पर कार्य किया जाएगा।

8. मूल्यांकन प्रक्रिया और समय-सीमा

8.1 मूल्यांकन मैट्रिक्स

नगरीय स्थानीय निकाय से प्राप्त परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित मूल्यांकन मैट्रिक्स का उपयोग किया जायेगा:

नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY)		
परियोजना के चयन हेतु मार्किंग मैट्रिक्स		
क्र० सं०	विवरण	अंक
1	दिशा-निर्देश के संलग्नक-1 में सूचीबद्ध परियोजनायें।	10
2	प्रस्ताव में हरित/संधारणीय तकनीक सम्मिलित हैं	
2.1	भवन के आवश्यक भार की न्यूनतम 100% क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र	10
2.2	भवन के आवश्यक भार की न्यूनतम 50% क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र	5
2.3	प्रस्तावित भवन के आच्छादित क्षेत्र का न्यूनतम 100% जलग्रहण क्षेत्र के साथ प्रस्तावित वर्षा जल संचयन	5
2.4	कुल चिनाई कार्य के कम से कम 50% में एसीसी ब्लॉकों का उपयोग	5
2.5	परियोजना के कारण कोई पेड़ नहीं काटना (मानदंडों के अनुसार न्यूनतम परिधि)	5
3	अभिसरण निधि का उपयोग	
3.1	रु० 5 लाख से कम	5
3.2	रु० 5 लाख से 10 लाख	10
3.3	रु० 10 लाख से अधिक	15
4	ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC)का अनुसरण करने वाली परियोजनायें	5
5	ऐसी परियोजनायें, जिसमें 10% निधि मा० सांसद निधि/मा० विधायक निधि से प्राप्त हुयी, हों	15
6	पीपीपी मोड में विकसित परियोजनायें	15
7	सीपीडब्ल्यूडी/बीएमटीपीसी द्वारा सूचीबद्ध नई तकनीक का उपयोग करके प्रस्तावित की गयी परियोजनायें	10
8	एस्क्रो खाते (Escrow account) में नगरीय स्थानीय निकाय से 5 वर्षों के लिए प्रतिबद्धता	5
	कुल अंक	100

तालिका-08

8.2 योजना की समय-सीमा

- (क) यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-2025 से प्रारम्भ होगी और 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी।
- (ख) योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही पूर्ण किया जाना होगा।
- (ग) प्राकृतिक आपदा, स्थल विवाद आदि जैसी अपरिहार्य अप्रत्याशित परिस्थितियों को छोड़कर, यदि परियोजना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी नहीं होती है, तो अनुमोदित परियोजना पूरी होने तक किसी अन्य योजना के लिए कोई अन्य राशि नगरीय स्थानीय निकाय को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। साथ ही विलम्ब हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

(घ) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, निम्नलिखित समय-सीमा का पालन किया जायेगा:

तालिका-09

#	कार्य	महत्वपूर्ण दिन
1.	कैबिनेट एवं शासनादेश	जून, 2024
2.	प्रशिक्षण और योजना का प्रारम्भ	जुलाई, 2024
3.	प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ की तिथि	अगस्त, 2024
4.	परियोजना को अन्तिम रूप देना एवं अनुमोदन	सितम्बर, 2024
5.	निविदा/ एल.ओ.ए. निर्गत करना	अक्टूबर, 2024
6.	निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा	फरवरी, 2025
7.	निर्माण पूरा किया जाना	एल.ओ.ए. जारी करने की अवधि जारी होने के पश्चात 12 से 18 महीने है।


टिप्पणी- 1. प्रोजेक्ट में 18 महीने तक विस्तार की सर्वत मंजूरी दी जा सकती है।

2. सदस्य सचिव मासिक आधार पर प्रगति की निगरानी करेंगे।
3. चालू परियोजनाओं की त्रैमासिक समीक्षा राज्य नगरीय अवसंरचना समिति (SUIC) द्वारा की जायेगी।

9. कार्यान्वयन संरचना एवं कार्य-प्रणाली

9.1 कार्यान्वयन संरचना के सोपान

नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) एक द्विस्तरीय कार्यान्वयन संरचना का पालन करेगा, जिसमें परियोजनाएं नगरीय स्थानीय निकाय (यूएलबी) की संबंधित समिति की मंजूरी के बाद संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा नगरीय निकाय निदेशालय को प्रस्तुत की जाएंगी। नगरीय निकाय निदेशालय की मंजूरी के बाद परियोजना को मंजूरी के लिए राज्य नगरीय अवसंरचना समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। द्विस्तरीय कार्यान्वयन संरचना इस प्रकार है:



चित्र-05

9.1.1 राज्य नगरीय अवसंरचना समिति (SUIC)

1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग	अध्यक्ष
2	निदेशक, नगरीय स्थानीय निकाय, उ0प्र0	सदस्य सचिव
3	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	सदस्य
4	सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
5	सचिव, ऊर्जा विभाग	सदस्य
6	सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग	सदस्य
7	सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
8	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
9	सचिव/मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
10	निदेशक, सी एण्ड डीएस, उत्तर प्रदेश	सदस्य
11	निदेशक, एन.आई.सी. (परियोजनाओं की आवश्यकतानुसार)	सदस्य
12	अध्यक्ष के विवेकानुसार	विशेष आमंत्री सदस्य

मा० मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश योजना के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी, पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन देना।

चित्र-06

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा मूल्यांकन के बाद, परियोजनाओं को राज्य नगरीय अवसंरचना समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य नगरीय अवसंरचना समिति, योजना के समग्र कार्यान्वयन, निरंतर अनुश्रवण और आवश्यकता के अनुसार अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। समिति का कार्य क्षेत्र निम्नानुसार होगा:

- (क) राज्य नगरीय अवसंरचना समिति (SUIC) योजना के कार्यान्वयन के लिए समग्र मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान करेगी।
- (ख) समिति, निर्माण के लिए परियोजनाओं की समग्र मंजूरी प्रदान करेगी।
- (ग) समिति अनुमोदित परियोजनाओं की निरंतर और व्यापक अनुश्रवण करेगी।
- (घ) समिति आवश्यकतानुसार समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करेगी।
- (ड.) समिति, अंतर-विभागीय समन्वय और अभिसरण कराना सुनिश्चित करेगी।
- (च) समिति के सदस्य सचिव परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने एवं मासिक समीक्षा कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (छ) मा० मंत्री, नगर विकास विभाग और मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन यथा- आवश्यकता प्रगति की समीक्षा करेंगे।
- (ज) प्रस्तुत की गई वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र (विभागीय वेबसाईट) में रखा जाना अनिवार्य होगा।

9.1.2 परियोजना निर्माण समिति

- नगरीय स्थानीय निकाय (ULB) के स्तर पर एक परियोजना निर्माण समिति का गठन किया जाएगा, जो परियोजना विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के निर्माण के लिए जिम्मेदार होगी।
- नगर निगम के मामले में परियोजनाओं को 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत महापौर की अध्यक्षता में निकाय स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। प्रस्तावित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और नगरीय निकाय निदेशालय को प्रस्तुत किया जाएगा।
- नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों के मामले में समिति की अध्यक्षता संबंधित जिला अधिकारी करेंगे। प्रस्तावित डीपीआर को समिति द्वारा अनुमोदित कर नगरीय निकाय निदेशालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

(क) नगर निगमों के लिए समिति संरचना

1	महापौर	अध्यक्ष
2	नगर आयुक्त	सदस्य सचिव/संयोजक
3	जिलाधिकारी	सदस्य
4	सम्बन्धित उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण	सदस्य
5	आयुक्त द्वारा नामित अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य

तालिका-10

(ख) नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए समिति संरचना

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	अधिशासी अभियन्ता	सदस्य
3	अधिशासी अधिकारी	सदस्य
4	लेखाधिकारी	सदस्य
5	जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य	सदस्य

तालिका-11

9.2 परियोजना प्रबन्धन इकाई (PMU) का गठन एवं कार्य:-

(क) योजना से सम्बन्धित सभी गतिविधियों को पूर्ण करने में सहयोग के लिए निदेशालय स्तर पर एक परियोजना प्रबन्धन इकाई (PMU) का गठन किया जायेगा, जो निदेशक, नगर निकाय निदेशालय को रिपोर्ट करेगी।

(ख) आवश्यकतानुसार नगर नियोजक, नगरीय डिजाईनर/ लैण्ड स्केप आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, प्रोक्योरमेन्ट विशेषज्ञ इत्यादि जैसे तकनीकी विशेषज्ञ परियोजनाओं की अवधारणा बनाने, सीएम-वीएनवाई पोर्टल पर अपलोड की गयी परियोजनाओं का तकनीकी व वित्तीय मूल्यांकन करने में नगर निकाय निदेशालय की सहायता करेंगे। परियोजना प्रबन्धन इकाई (PMU) वार्षिक कार्ययोजना की तैयारी में नगरीय स्थानीय निकाय का मूल्यांकन और सहायता भी करेगी।

(ग) निदेशालय स्तर के परियोजना प्रबन्धन इकाई (PMU) एवं मुख्य अभियन्ता, नगर निकाय निदेशालय द्वारा तकनीकी परीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव राज्य नगरीय अवसंरचना समिति (SUC) के विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) पीएमयू के कार्यों के विस्तृत दायरे में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, परन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:-

- ✓ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) का तकनीकी मूल्यांकन।
- ✓ (CM-VNY) योजना के सम्बन्ध में परामर्श।
- ✓ निविदा प्रक्रिया प्रबन्धन।
- ✓ निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों एवं गुणवत्ता नियंत्रण उपाय पर रिपोर्टिंग।
- ✓ परियोजनाओं के लिये नगरीय स्थानीय निकाय को सहायता एवं समर्थन।
- ✓ परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन।
- ✓ नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर क्षमता निर्माण।
- ✓ योजना से सम्बन्धित समस्त/हितधारकों (Stakeholders) के प्रशिक्षण अभ्यास।
- ✓ हितधारकों (Stakeholders) के साथ तकनीकी ज्ञान साझा करना।
- ✓ उपार्जन (Procurement) गतिविधियों में सहयोग करना।
- ✓ सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार कोई अन्य कार्य।

9.3 क्रियान्वयन पद्धति योजना के व्यापक कार्यान्वयन संरचना पर निम्नलिखित बिन्दु प्रकाश डालते हैं:

- (क) सीएम-वीएनवाई के तहत दो स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी प्रणाली बनाई जाएगी।
- (ख) परियोजना का गठन संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा संबंधित समिति से परामर्श और अनुमोदन, व्यवहार्यता अध्ययन (Feasibility Study) और निजी भागीदारों के साथ परामर्श के उपरान्त की जाएगी।
- (ग) प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले प्रस्तावों पर माननीय सांसद एवं विधायक का सुझाव लिया जा सकता है।
- (घ) नगर निगमों के लिए नगरीय स्थानीय निकायों के बुनियादी ढांचे के विकास निधि के तहत जारी धनराशि के उपयोग और नगर निगमों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए 15 वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के लिए, प्रस्ताव को महापौर की अध्यक्षता में पहले से ही गठित समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- (ङ) नगर पंचायतों एवं नगर पालिका परिषदों के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया जायेगा।
- (च) राज्य नगरीय अवसंरचना समिति को यह अधिकार होगा कि वह जनहित से सम्बन्धित परियोजनाओं के सम्बन्ध में या सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय को ऐसी परियोजनाएं तैयार करने का निर्देश दे सकती है।
- (छ) परियोजनाओं का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तकनीकी मूल्यांकन और अग्रेतर कार्यवाही के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।
- (ज) निदेशक, नगर निकाय के समग्र पर्यवेक्षण में PMU और मुख्य अभियन्ता, नगर निकाय निदेशालय द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया जायेगा।
- (झ) राज्य नगरीय अवसंरचना समिति (SUIC) से अनुमोदित होने के पश्चात परियोजना को शासन (नगर विकास विभाग) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। तत्पश्चात परियोजना की प्रथम किश्त वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार जारी की जाएगी।
- (ट) शासन (विभाग) से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय (ULB) निश्चित समय-सीमा में निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा और सम्बन्धित निविदादाता (कान्ट्रेक्टर) को नियमानुसार कार्य आदेश जारी करेगा।
- (ठ) कार्यदायी संस्था को जारी कार्य आदेश (Letter of Award-LoA) को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- (ड) समस्त कार्यों का अनुबन्ध- डेटा/कार्य का नाम/कार्य की लागत/कान्ट्रेक्टर/कार्यदायी संस्था का नाम एवं अन्य सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
- (त) यदि किसी भी कारण से परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब होता है, तो संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय, राज्य नगरीय अवसंरचना समिति को एक लिखित स्पष्टीकरण/औचित्य प्रस्तुत करेगा और परियोजना को पूर्ण करने के लिए एक नई समय सीमा के लिए औपचारिक आवेदन करेगा, और समिति द्वारा अनुमोदन के बाद ही, प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए नया टाइम टेबल जारी किया जाएगा। यदि कार्यदायी संस्था/निकाय इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से परियोजना में विलम्ब करती है, तो समिति जुर्माना/कार्रवाई कर सकती है और गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकती है।

वर्क फ्लो मैट्रिक्स

Action	#	Activity	Time Line (Days)	Tentative Date
योजना @ नगरीय स्थानीय निकाय स्तर • 5 वर्षों के लिए विजन योजना • वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना	1.1	नगरीय स्थानीय निकाय की आवश्यकता को समझने के लिए हितधारक(स्टेकहोल्डर) परामर्श	4	वित्तीय वर्ष के अप्रैल और माह अंतीम के दृतीय सप्ताह
	1.2	जाँच लें कि क्या किसी अन्य योजना में समान परियोजना की परिकल्पना/अनुमोदन तो नहीं किया जा रहा है	3	
	1.3	शहर के मौजूदा मास्टर प्लान / यू.आर.डी.पी. एफ.आई. दिशा-निर्देशों के अनुरूप परियोजनाओं को अंतिम रूप देना	3	
	1.4	निष्पादित की जाने वाली परियोजना के लिए भारमुक्त भूमि की उपलब्धता / स्थान की जांच	7	
	1.5	बाजार सर्वेक्षण / पिछले अनुभव के आधार पर एकमुश्त (lump sum) परियोजना लागत का अनुमान लगाया जाएगा	5	
	1.6	चिन्हित परियोजना की अन्तिम सूची (विजन योजना+वार्षिक कार्ययोजना) संलग्नक-4 के साथ निदेशालय को भेजी जाएगी (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत की संबंधित समिति से अनुमोदन के बाद)	3	
राज्य स्तरीय अनुमोदन 5 वर्षों के लिए विजन योजना वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना	2.1	PMU द्वारा सभी ULBs से प्राप्त विजन योजना (Vision Plan) और वार्षिक कार्ययोजना (annual action plan) का संकलन और वर्गीकरण	3	10th May 2025
	2.2	नगर निकाय निदेशालय द्वारा विजन योजना और वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन	3	
	2.3	राज्य नगरीय अवसंरचना समिति/शासन द्वारा विजन योजना (Vision Plan) और वार्षिक कार्ययोजना (annual action plan) का अनुमोदन	7	
	2.4	अनुमोदित विजन प्लान और कार्य योजना निदेशक को भेजी जाएगी + डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए निदेशक, नगर निकाय निदेशालय द्वारा सभी नगरीय स्थानीय निकाय को आदेश भेजा जाएगा	2	
Detail Project Report	3.1	हितधारकों (Stakeholder) द्वारा साइट का सर्वेक्षण (Topography, soil investigation etc)	5	10th June 2025

नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना)

Action	#	Activity	Time Line (Days)	Tentative Date
• यूएलबी स्तर पर तैयारी	3.2	वास्तुशिल्प (architecture) डिजाइन और स्थान योजना + विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(DPR) तैयारी	15	
• अनुमोदन के लिए राज्य स्तर पर प्रस्तुत करना	3.3	दिशा-निर्देश संलग्नक - 5 में संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(DPR) का संकलन	3	
	3.4	नगरीय स्थानीय निकाय के लिये मौजूदा समिति द्वारा परियोजना का अनुमोदन (As per 15th Finance Commission in NN and DM Committee in NPP, NP)	6	
	3.5	अनुमोदित परियोजना को निदेशालय में प्रस्तुत करना	2	
डीपीआर का अनुमोदन	4.1	परियोजना प्रबन्धन इकाई (PMU) एवं मुख्य अभियन्ता, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(DPR) का तकनीकी और वित्तीय परीक्षण।	6	
• निदेशालय	4.2	प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(DPR) पर रिपोर्ट अनुमोदन हेतु निदेशालय के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी	3	
• SUIC @ शासन स्तर	4.3	नगरीय निकाय निदेशालय से अनुमोदन के लिए रिपोर्ट राज्य नगरीय अवसंरचना समिति/शासन को प्रस्तुत की जाएगी।	3	
	4.4	5 करोड़ से अधिक की परियोजना के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों/प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	15	
	4.5	परियोजना के लिए स्वीकृत प्रथम किस्त शासनादेश के अनुसार नगरीय निकाय निदेशालय/सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय को भेजा जाएगा।	7	
परियोजना का निष्पादन एवं अनुश्रवण	5.1	अनुमोदित परियोजना की निविदा संबंधित एजेंसी द्वारा की जाएगी	45	
	5.2	योग्य बोलीकर्ता (Qualified bidder) को मानदंडों के अनुसार कार्यादेश (WO) जारी किया जाएगा	5	
	5.3	परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना।	365	
	5.4	हर महीने, चल रही परियोजना की निगरानी		31st August 2025

9.4 क्रियान्वयन अभिकरण (एजेंसी) एवं परियोजना की रूपरेखा

- (क) परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव जैसे अन्य महत्वपूर्ण कारकों को भी ध्यान में रखा जाएगा और सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव वाली परियोजनाओं को Indian Green Building Council/Green Rating for Integrated Habitat Assessment मानकों को पूर्ण करने के लिये अतिरिक्त 10% धनराशि मौसम प्रोत्साहन अनुदान (Climate Incentive Grant) के रूप में आवंटित की जाएगी।
- (ख) योजनान्तर्गत 05 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता(ECBC), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अनुरूप होंगी।
- (ग) भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (BMTPC) और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा सूचीबद्ध टिकाऊ निर्माण प्रौद्योगिकी को परिनियोजित करने वाली परियोजना को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (घ) योजनान्तर्गत प्रस्तावित निर्माण परियोजनाएं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code), स्थानीय भवन उपनियम (Local Building Bye-laws) और क्षेत्र के अनुरूप मास्टर प्लान मास्टरप्लान जैसे अन्य प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुरूप होगी। साथ ही उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973, उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 तथा उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु संबंधित विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र/यूएलबी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र(N.O.C.) एवं अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- (इ.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित परियोजनाओं में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायगा:-
1. नगरीय निकाय क्षेत्र में अवस्थित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 सप्तित वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम-2023 के अन्तर्गत भारत सरकार से पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी।
 2. यदि यह भूमि वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित पायी जाती है तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नई दिल्ली के साथ-साथ मार्ग सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
 3. इसके अतिरिक्त यदि नगरीय निकाय क्षेत्र वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 10 किमी एवं इको सेन्सटिव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है, तब भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन संरक्षण डिवीजन के पत्रांक-एफ0सी0-11/119/2020-एफसी, दिनांक 17.05.2022 के अनुरूप पर्यावरणीय अनापत्ति (Environment Clearance), वन विभाग की अनापत्ति (Forest Clearance) और वन्यजीव विभाग की अनापत्ति परियोजना प्रस्तावक (Wildlife Clearance Project proponent) द्वारा प्राप्त की जायेगी।
 4. गैर वन भूमि/कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी से पातन की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
 5. नगरीय निकाय क्षेत्र में परियोजना की स्थापना के पूर्व सम्बन्धित संस्था के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुरूप यथा आवश्यकता पर्यावरणीय अनापत्ति लिया जाना होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरण संघात अधिसूचना 2006 यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुसार सक्षम स्तर से नियमानुसार पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
 6. नगरीय निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदूषण स्रोतों से संबंधित ईकाइयों की स्थापना के पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

7. नगरीय निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदूषण स्रोतों से संबंधित इकाईयों के संचालन के पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार संचालनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
 8. नगरीय निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन का ऑनलाइन अनुश्रवण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से किए जाने के दृष्टिगत उक्त इकाईयों में उचित स्थलों पर पी0टी0जेड0 रोटेटिंग कैमरा ओपेन एक्सेस व्यवस्था के अनुसार स्थापित कराया जाए।
 9. नगरीय निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत जनित होने वाले अपशिष्टों का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत अपशिष्ट प्रबन्ध नियमों के प्राविधानों के अनुसार पृथक्कीरण, एकत्रण एवं प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।
 10. नगरीय निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत समुचित पर्यावरण प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।
 11. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय-समय पर जो अन्य शर्तें/ प्राविधान निर्धारित किया गया हो, उनका भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 12. टी.टी.जेड. क्षेत्रान्तर्गत के प्रकरणों पर नियमानुसार अनुमति सुनिश्चित किया जायेगा।
- (छ) परियोजना के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था का चयन वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाएगा।

9.5 प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रक्रिया

इस योजनान्तर्गत सृजित अवसंरचनाओं का प्रचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धित नगरीय निकाय द्वारा किया जाएगा। यह स्थानीय निकायों द्वारा अपनी निधियों/संसाधनों/भवन से प्राप्त उपयोगकर्ता शुल्कों से सुनिश्चित किया जायेगा।

9.6 प्रशासनिक एवं अन्य व्ययः

योजनान्तर्गत PMU, क्षमता निर्माण, इन्फार्मेशन एजूकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन (IEC), प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A& OE) पर व्यय के लिए कुल प्राविधानित बजट का 02 प्रतिशत धनराशि आरक्षित होगी:

- 2% आरक्षित धनराशि में से 1% धनराशि नगर निकाय निदेशालय स्तर पर आरक्षित किया जायेगा। नगर निकाय निदेशालय स्तर पर आरक्षित धनराशि हेतु एक बैंक खाता पृथक से खोला जायेगा। खाते के आय-व्ययक का विवरण सहायक निदेशक (लेखा), नगर निकाय निदेशालय द्वारा रखा जायेगा। सहायक निदेशक (लेखा) द्वारा उक्त खाते के संचालन में संगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त खाते में उपलब्ध धनराशि का निम्न प्रकार से उपयोग किया जायेगा:-
- परियोजना प्रबन्धन इकाई की स्थापना।
- क्षमता निर्माण, इन्फार्मेशन एजूकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन (IEC) एवं प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A& OE) हेतु।
- कार्यशाला/प्रशिक्षण/स्टडी/केस स्टडी/स्टेशनरी और देश के अन्तर्गत अधिकारियों के भ्रमण/यात्रा, परियोजना विशेषज्ञ, उपार्जन (Procurement) विशेषज्ञ, अनुबन्ध प्रबन्धन, ट्रान्जैक्शन परामर्शी के लिए सीमा से बाहर का व्यय।
- योजना के अनुश्रवण हेतु डैशबोर्ड विकसित करने व अन्य डिजिटल और आई0टी0 इनिशिएटिव हेतु।

- सामाजिक-आर्थिक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन/शोध/ अभिलेखीकरण, राज्य स्तर पर प्रचार-प्रसार, वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि पर व्यय किया जायेगा।
- राज्य नगरीय अवसंरचना समिति (SUC) द्वारा निर्देशित कोई अन्य कार्य।
- शेष 1% धनराशि नगरीय स्थानीय निकाय के लिए निम्नलिखित गतिविधियों हेतु उपलब्ध करायी जायेगी:-
- क्षमता निर्माण, इन्फार्मेशन एजूकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन (IEC) एवं प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A& OE) हेतु।
- परियोजना विशेषज्ञ, उपार्जन (Procurement) विशेषज्ञ, अनुबन्ध प्रबन्धन, ट्रान्जैक्शन परामर्शी के लिए सीमा से बाहर का व्यय।
- आवश्यक होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, लीफलेट्स, फोटोग्राफ/आडियो-विजुवल माध्यमों, वाल पेन्टिंग, नुकड़-नाटक तथा स्थानीय कलाकारों के माध्यम से करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
- नगर चौपाल के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन/शोध/ अभिलेखीकरण हेतु विभिन्न गतिविधियां की जा सकेंगी।
- डीपीआर तैयार करने और डीपीआर तैयार करने के लिए आवश्यक सर्वेक्षणों के लिए कार्य करने वाले सलाहकार/टीम को भुगतान।
- आवश्यकतानुसार यात्रा व्यय।
- यदि नगर निकाय निदेशालय स्तर पर आरक्षित धनराशि में बचत होती है, तो उसे आवश्यकतानुसार नगरीय स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- योजनान्तर्गत पीएमयू/क्षमता निर्माण/आईईसी तथा ए.एण्ड.ओ.ई. मदों पर व्यय होने वाली धनराशि का आहरण वास्तविक व्यय के आधार किया जायेगा, जो कि कुल प्राविधानित बजट के 2 प्रतिशत से अनधिक होगा।

9.7 शहरी अवसंरचना योजना

प्रत्येक भाग लेने वाले नगरीय स्थानीय निकाय (ULB) को एक पंचवर्षीय शहरी अवसंरचना विजन प्लान तैयार करना होगा, जो नगरीय स्थानीय निकाय (ULB) में विद्यमान अवसंरचना को मैप करेगी और भविष्य के अवसंरचना के लिए प्राथमिकता सूची भी बनाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रारम्भ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नगरीय स्थानीय निकाय शहरी अवसंरचना विजन प्लान के आधार पर एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगा। शहरी अवसंरचना विजन प्लान को 15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा और अनुमोदन के लिए निदेशक, नगर निकाय निदेशालय के माध्यम से राज्य नगरीय अवसंरचना समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विजन प्लान का सांकेतिक टेम्पलेट संलग्नक-4 में है।

9.8 लेखापरीक्षा एवं लेखा

- (1) वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)-2010 दिनांक 21 मार्च, 2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (2) पीपीपी परियोजनाओं के सम्बन्ध में अवस्थापना विकास विभाग द्वारा पीपीपी परियोजनाओं के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/शासनादेशों/सुसंगत अधिनियमों व नियमों के अनुरूप अनुपालन किया जायेगा।
- (3) खातों का लेखापरीक्षा किसी मान्यता प्राप्त अभिकरण (एजेंसी)/चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए।
- (4) योजनान्तर्गत किया गया कार्य प्रचलित मानदण्डों अनुसार लेखापरीक्षा के अधीन होगा।

9.9 अन्य पक्ष आडिट

अन्य पक्ष द्वारा गुणवत्ता अनुश्रवण अभिकरण (TPQMA) :

नगरीय स्थानीय निकाय (यूएलबी) योजना के विभिन्न घटकों के अधीन गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अन्य पक्ष द्वारा गुणवत्ता अनुश्रवण अभिकरण (TPQMA) को सम्मिलित करेगा। नगरीय स्थानीय निकाय (यूएलबी) को अन्य पक्ष अभिकरणों को सम्मिलित करते हुए अपनी गुणवत्ता अनुश्रवण और आश्वासन योजनाएं तैयार करनी चाहिए। ऐसी योजना में, अन्य पक्ष अभिकरणों द्वारा परियोजना स्थल का निरीक्षण करने और गुणवत्ता संबंधी मुद्दों पर राज्य और नगरीय स्थानीय निकायों को परामर्श देना सम्मिलित होगा। ऐसे अभिकरणों द्वारा दिये गये गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट और अपने तकनीकी कर्मचारियों की रिपोर्ट के आधार पर मानक गुणवत्ता वाले अवसंरचना को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और नगरीय स्थानीय निकाय को निवारक और उपचारात्मक दोनों उपाय करने चाहिए।

10. परिणाम

योजनान्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वित किये जाने से निम्नलिखित परिणाम परिकल्पित हैं:-

1. यह योजना राज्य में नगरीय अवसंरचना में एक रूपता सुनिश्चित करती है। समस्त नगरीय आबादी को उनके जीवन स्तर और नगरीय स्थानीय निकाय के आकार के अनुपात में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के समान स्तर तक पहुंच प्राप्त होगी।
2. यह योजना सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने का प्रयास करेगी।
3. यह योजना राज्य के नगरीय क्षेत्रों में रहने की क्षमता (Liveability Condition) को बढ़ाएगी, हरित आवरण को बढ़ाकर पर्यावरणीय स्थिरता (Environmental Sustainability) को बढ़ाएगी। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों को बढ़ाना।
4. नगरीय स्थानीय निकायों में अवसंरचना सुविधाओं में सुधार से उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में उनका योगदान अत्यधिक बढ़ जाएगा।
5. केंद्रीय तथा राज्य स्मार्ट सिटी के तहत परिकल्पित परियोजना को सीएम-वीएनवाई के माध्यम से लक्ष्य से अभियान ("मिशन टू मूवमेंट") के रूप में अन्य नगर पालिका परिषद और पंचायत तक विस्तारित किया जाएगा।
6. योजनान्तर्गत नगरीय स्थानीय निकायों में परियोजना के लिए पीपीपी/सीएसआर के माध्यम से निवेश में वृद्धि होगी।
7. इन परिसम्पत्तियों के निर्माण से नगरीय स्थानीय निकाय के लिए राजस्व स्रोत बढ़ेंगे, जिससे नगरीय स्थानीय निकाय की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और वे आत्मनिर्भर बनेंगे।
8. योजनान्तर्गत सम्पत्तियों की ऑनलाइन मैपिंग/दस्तावेजीकरण के माध्यम से विद्यमान अवसंरचना की एक सूची बनाई गई है जो सम्पत्तियों की पहचान करने और मुद्रीकरण करने में मदद करेगी।

11. संलग्नक-1

चिन्हित परियोजनाओं का संकेतात्मक क्षेत्र विवरण:

#	Project Description	ULB Type	Pax/ Capacit	unit	BUA (SqM)	Site Area (SqM)
A	ADMINITRATIVE					
A1	Office Buildings	NN	90	Seating	1500	2500
		Pop>1 Lac + DHQ	45	Seating	500	850
		Pop <1 Lac	40	Seating	300	500
A2	Co- Working space	NN	90	Seating	600	1000

#	Project Description	ULB Type	Pax/ Capacity	unit	BUA (SqM)	Site Area (SqM)
B	Economic					
B1	Working Women Hostel	NN	100	Bed	4000	3000
		Pop>10 Lac + DHQ	50	Bed	2000	1500
B2	Food Street Hub/ Night/ Weekly Market	NN	-		0	4000
		Pop>10 Lac + DHQ	-		0	2000
B3	Kiosk	NN	10			

		Pop>10 Lac + DHQ	10				
B4	Mechanized & other types of smart parking	NN	100	ECS	800000		
B5	Skill Development Centre	NN	50	Ppl	150	300	
#	Project Description	ULB Type		Pax/ Capacity	unit	BUA (SqM)	Site Area (SqM)
C	SOCIAL						
C1.1	Experience Center (Exhibition Space)	NN	300	ppl	1500	2500	
		Pop>1 Lac + DHQ	150	ppl	750	1250	
C1.2	Experience Center (Urban Museum/Commercial)	NN	400	ppl	2000	3300	
		Pop>10 Lac + DHQ	300	ppl	1500	2500	
C2	Town Hall	NN	200	ppl	1000	3300	
		Pop>1 Lac + DHQ	120	ppl	600	2000	
C3	Marriage hall	NN	400	ppl	1000	3300	
		Pop>1 Lac + DHQ	240	ppl	600	2000	
		Pop <1 Lac	80	ppl	200	660	
C4	Senior Care Center	NN	60	ppl	300	500	
C5	Retirement home	NN	200	DU	9000	22500	
C6.1	Auditorium/ & Spaces/ Centre for performing Art/ Amphitheatre	NN	1000	seating	500	835	
C6.2	Art Gallery & Spaces	NN	300	ppl	1500	2500	

C7	Multifunctional Spaces (Community Centre/MP Hall)	NN	1000	seating	2500	4170
		Pop>10 Lac + DHQ	600	seating	1500	2500
		Pop <10 Lac	200	seating	500	835
C8	Café/Book Café	NN	100	seating	250	
C9.1	Pet Park/ Shelter	NN	-	-	-	4000
		Pop>10 Lac + DHQ	-	-	-	2000
		NN	-	-	500	420
C9.2	Pet Clinic	Pop>10 Lac + DHQ	-	-	400	335
		Pop <10 Lac	-	-	250	210
C10	Destitute Homes/ Night Shelter	As per Actual Site Condition				
C11	Library / Digital Library	NN	15,000	books	Improvement of existing / new build	
		Pop>10 Lac + DHQ	10,000	books	1000	1700
		Pop<10 Lac	5,000	books	500	840

#	Project Description	ULB Type	Pax/Capacity	unit	BUA (SqM)	Site Area (SqM)
D	Health					
D1	Multipurpose Sport Facilities	NN	9	Court	3000	5000
		Pop>10 Lac + DHQ	6	Court	2000	3400
		Pop<10 Lac	4	Court	1500	2500
D2	Open Gym	NN	15	Equip.	124000	-
D3	Urban Plaza	NN	-	-	1000	10000

D4	Rehabilitation/Diagnostic/ wellness center/Yog Shala	As per Actual Site Condition				
D5	Creche	NN	20	Kids	80	270

#	Project Description	ULB Type	Pax/ Capacity	unit	BUA (SqM)	Site Area (SqM)
E	Environment					
E 1	City Forest	NN	lump sum budgetary provision			
		Pop>10 Lac + DHQ				
E 2	Smriti / Theme Park/Children/Amusement /Waste to Wonder Park	NN	-	-	800	40000
		Pop>10 Lac + DHQ	-	-	500	10000
E 3	Urban Wet Land	NN	lump sum budgetary provision			
		Pop>10 Lac + DHQ				
		Pop<10 Lac				
E 4	Solar Park	NN	As per UPNEDA Guidelines			
		Pop>10 Lac + DHQ				
		Pop<10 Lac				
E 5	Arboriculture / Nursery / Horticulture	NN	-	-	200	10000
		Pop>10 Lac + DHQ	-	-	160	8000

#	Project Description	ULB Type	Pax/ Capacity	unit	BUA (SqM)	Site Area (SqM)
F	Heritage / Infrastructure					
F1	Heritage street &building conservation.	NN	As per actual site condition			
		Pop>10 Lac + DHQ				
F2		NN	As per actual site condition			

	Place Making/Urban Art Decor/ Street Furniture	Pop>10 Lac + DHQ							
F3	Foot Over Bridge	NN	1	25 M for 4 Lane	25000000				
		Pop>10 Lac + DHQ			25000000				
F4	Ghat Conservation	NN				As per Actual Site Condition			
		Pop>10 Lac + DHQ							
		Pop<10 Lac							
F5	C.C. Roads with Drain	NN				<ul style="list-style-type: none"> ○ Maximum of 10% of the sanctioned amount per ULB under the scheme. <p>OR</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 10% of Proportionate increase in Revenue collection from last financial year. ○ Least amount of the above shall be sanctioned. 			
		Pop>10 Lac + DHQ							
		Pop<10 Lac							

12. संलग्नक-2

परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के लिए चेकलिस्ट

S.No	Tick	Description
Part A		Project Profile
1		Project Vision and Goals
2		Self-Assessment & Feasibility of Project Report
Part B		Area of Proposal
1		Project Location Summary
2		Approach and Methodology
3		Essential Features & Achievement Plan
5		Necessity of the Project by ULB
6		Innovation
7		Benefits Delivered
8		Project Information to be displayed at site (Scheme Name, Project Name, Executing agency, Project Cost, time line for completion, Officer In-charge contact)
Part C		Implementation Plan
1		Implementation Plan
2		Funds availability with city
3		Fund Requirement from state
4		Percentage of Convergence
5		% of Departmental Funds
6		% of CSR Funds
7		% of Private Funds
8		% of any other Funds (mention)
9		PPP
10		Stake Holder Identification and Role
11		Code and Guidelines compliance
12		Duplicacy of project with any other scheme
Part D		Financial Plans
1		Scheduled Itemized Cost
2		All Cost (Analysis Rate, Market Cost, Quotation Rate etc.)
3		Revenue & Pay Back
4		Recovery of O&M
5		Financial Timeline along with Fall Back Plan

Note:

- Optional details can be submitted *
- Above check list shall be made part of the noting while proposing for final approval of project

13. संलग्नक-3

परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा भरी जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के लिए चेकलिस्ट

[Project Name - ULB Name]

1. Basic Details		
a) Project Name		
b) Submitted by	ULB Name	PMC / Consultant:
c) Date of Receipt		
d) Land Details & ownership document		
2. Brief Project Details		
a) Short narrative of the proposal and the project		
b) Is it covered in the original Action Plan?		
c) Total Cost of the project as per KaryaYojna& the revised cost		
d) Other critical aspects of project for Introduction		
e) Other Critical aspects of project		
f) Gender Centric Approach of the project.		
3. Strategic, Business Plan & economic evaluation		
a) Any alternative Plan considered		
b) Methodology followed/ Rationale for the selection of Business Model (PPP/PPP) EPC/CAPEX)		
4. Technical Details		
a) Design fulfilling all Statuary requirements and regulations currently in force and foreseen		
b) Technologies considered as a solution (e.g. iOT/AI/ML/ MLCP/COTS/ open source etc.)		
c) Success story of the technologies (case study)		
d) Survey Report		
e) Utilities Infrastructures details.		
f) Sustainability aspect of the project.		
5. Timelines		
a) Implementation Period		
b) O&M period		
6. Financial Aspects		
a) Project cost & means of Finance (financial closure)		
b) O & M for 5 years		
c) Financial Model IRR /NPV calculations / Financial sustainability		
d) Phasing of expenditure		
e) Cost benefit analysis		
f) Overall Comments on Cost estimates		

7. Project Risks	
a) Identification of potential issues, bottlenecks and/or major risks involved in the project has been technically, economically covered or not	
b) Success /Case studies of similar projects in other Smart Cities	
8. Envisaged outcomes of the project/ Best practices / Innovative technologies / Cutting Edge solutions used	
9. Degree of Detailing Hygiene Factors	
10. Overall Comments Recommendations	
11. Implementing Agency Name:	
12. FUR	
13. Setback as per Norms	
14. Trees (if any) ASI Site (if any) Overhead Transmission Line (if any) Any other details	

Note:

- Above check list shall be made part of the noting while proposing for final approval of project

14. संलग्नक-4

शहरी अवसंरचना योजना का प्रारूप

Format for development of City Infrastructure Plan

1	City Name											
2	Population As per last Census 2011											
3	Current population of ULB											
#	PROJECT NAME	EXISTING			CONDITION (in case of Constructed Building)			User Charge (Y/N)	OWNERSHIP		Location	Self-Priority Given by ULB
		Year of Construction for Constructed Building	Under Construction (Y/N)	Under Sanction (Y/N)	GOOD (Y/N)	Need Renovation (Y/N)	Need Redevelopment (Y/N)		Nagar Nigam (Y/N)	Other Department (specify)	No. of similar projects in city	Ward Name (Ward No.)
1.	Office Building											
2.	Library / Digital Library & Study Centre											
3.	Mechanized and other types of smart parking											
4.	Senior Care Centre											
5.	Working Women Hostel	.										

6.	Retirement home	.											
7.	Marriage Hall	.											
8.	Food Street Hub/ Night/ Weekly Market	.											
9.	Pet clinic / park/ Shelter	.											
10.	Open Gym												
11.	Multifunctional Spaces (Community Centre/ Amphitheatre)												
12.	Kiosk	.											
13.	Arboriculture / Nursery / Horticulture												
14.	Smriti / Theme park/ children park/ amusementpark/ Waste to Wonder Park	.											
15.	City Forest												
16.	Co- Working space												

17.	Town Hall												
18.	Café/Book Café	.											
19.	Auditorium/ Art Gallery & Spaces/ Centre for performing Art/ Amphitheatre	.											
20.	Multipurpose Sport Facilities	.											
21.	Urban Experience Centre (Museum/Exhibition Space/Commercial)												
22.	Fair/ City branding	.											
23.	Ghat Conservation / Rejuvenation	.											
24.	Creche												
25.	Urban Plaza												
26.	Heritage street & building conservation.												
27.	Place making/ Urban Art	.											

	Décor/Street Furniture													
28.	Foot Over Bridge	.												
29.	Rehabilitation/ Diagnostic / Wellness Centre/ Yog Shala	.												
30.	Urban Wet Land	.												
31.	Skill Development Centre	.												
32.	Solar Park													
33.	Specific Projects as per req of ULB	.												

15. संलग्नक -5

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) की चेकलिस्ट (नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा भरी जाएगी)

Sr. No.	विवरण	हॉ/नहीं
1	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अध्याय	
1.1	परियोजना और इसके प्रस्ताव का कार्यकारी संक्षेपण	
1.2	परिचय	
1.3	परियोजना के बारे में	
1.4	परियोजना की परिभाषा, संकल्पना, उद्देश्य और कार्य का विस्तार।	
1.5	पूर्ण होने के बाद अनुमानित लाभ को प्रदर्शित करती हुयी परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन	
1.6	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित जी०पी०एस० सहायता से परियोजना स्थल की अवस्थिति	
1.7	परियोजना की आवश्यकता और मौग का विश्लेषण (विद्युत, जल, जलनिकास और अन्य सेवाएं)	
1.8	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में संलग्न चित्रों सहित विद्यमान स्थल की दशा	
1.9	अभियान्त्रिकी सर्वेक्षण और अन्वेषण	
1.1	वास्तुशिल्प की डिजाईन	
1.1	अवसंरचना की डिजाईन	
1.1	यदि पृथक केस स्टडी लगाई गई हो, तो इसी प्रकार की केस स्टडी*	
1.1	मदवार दर के आधार पर वित्तीय अनुमान और लागत अनुमान	
1.1	वित्तपोषण के अनुमानित संसाधन	
1.2	राजस्व आगम के सम्भाव्य स्रोत	
1.2	पर्यावरण और सततता पक्ष	
1.2	जोखिम निर्धारण और शमन के उपाय	
1.2	कार्यान्वयन समय-सारिणी	
1.2	सांविधिक अनापति	
1.2	गुणवत्ता प्रबन्धन योजना *	
1.2	संलग्नक	
2	निम्नलिखित आलेखन संलग्न होंगे।	

Sr. No.	विवरण	हाँ/नहीं
2.1	प्रस्तावित स्थल योजना	
2.2	प्रस्तावित तल योजना	
2.3	प्रस्तावित भाग दो भाग में	
2.4	Proposed Elevation of at least 2 side	
2.5	Proposed 3D view of proposed built form	
2.6	ढांचा निर्माण और कालम मानचित्र योजना	
2.7	सेवाओं के लिए मानचित्र योजना	
3	लगाये जाने वाले संलग्नक/दस्तावेज	
3.1	प्रस्तावित पूर्णता की समय-सारिणी	
3.2	प्रस्तावित स्वच्छता अनुसूची जिसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ लगाया जाए।	
3.3	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर अधिशासी अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता और नगर आयुक्त के हस्ताक्षर होने चाहिए।	
3.4	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए परियोजना लागत को सम्मिलित करते हुए नगर आयुक्त द्वारा पत्र।	
3.5	परियोजना प्राक्कलन मदवार दर के आधार पर होना चाहिए	
3.6	भूमि स्वामि परिपुष्ट हो और उसके समर्थन का दस्तावेज संलग्नक में लगाया जाए।	
4	प्रस्ताव में विस्तृत विवरण होना चाहिए।	
4.1	किसी गैर अनुसूचित मद के मामले में तीन कोटेशन लगाए जाएं	
4.2	ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम(GRIHA, LEED etc) पर विचार करें	
4.3	सतत उपायों को प्रमुखता से बतायें (सौर पैनल, भूजल वर्षा प्रवाह)	

टिप्पणी:

- वैकल्पिक विवरण संलग्न किये जा सकते हैं। *
- परियोजना के अन्तिम अनुमोदन के लिए प्रस्तावित करते समय उपर्युक्त चेकलिस्ट को टिप्पणी आलेखन में शामिल किया जायेगा।

16. संलग्नक -6

16.1.1 प्रचलित पीपीपी मॉडल

सार्वजनिक निजी सहभागिता या "पीपीपी" निवेश, और/या प्रबंधन के माध्यम से सार्वजनिक आस्तियाँ (Assets) और/या सार्वजनिक सेवाओं के प्राविधान के लिए एक तरफ सार्वजनिक इकाई और दूसरी तरफ एक निजी इकाई के मध्य नियत अवधि की संविदात्मक व्यवस्था का एक रूप है, निजी इकाई द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट समयावधि के लिए भुगतान की अपेक्षा हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, जहां निजी इकाई और सार्वजनिक इकाई के मध्य जोखिम का स्पष्ट रूप से परिभाषित आवंटन होता है और निजी इकाई का कृत्य निर्दिष्ट और पूर्व-निर्धारित कृत्य मानकों के अनुसार अनुबन्धित रूप से बाध्य होता है।

विगत कुछ वर्षों में पीपीपी संरचनाओं के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम का आविर्भाव हुआ है। यद्यपि वे अत्यन्त व्यापक हैं तथापि निम्नलिखित विशिष्ट मॉडलों का एक संस्करण हैं। इन विशिष्ट पीपीपी मॉडल को विभाग या निजी क्षेत्र द्वारा ग्रहण किए जा रहे संबंधित प्रमुख जोखिमों के संबंध में उनकी सापेक्ष विशेषताओं के आधार पर संरचित किया गया है। ये व्यापक पीपीपी मॉडल इस प्रकार हैं:-

1. सीमित निजी सहभागिता-

परंपरागत रूप से, सरकारें अपनी अवसंरचना प्रणालियों को विकसित करने के लिए सार्वजनिक खरीद पर निर्भर रही हैं। नाम निर्दिष्ट सरकारी अभिकरणों को कतिपय प्रकार के अवसंरचना विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ये अभिकरण आम तौर पर आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए योजनाएं बनाते हैं और फिर व्यक्तिगत परियोजनाओं के वित्तपोषण, अभिकल्प और निर्माण का प्रबन्ध करते हैं। एक बार जब कोई परियोजना पूर्ण हो जाती है, उसका संचालन एवं अनुरक्षण अभिकरण द्वारा किया जाता है।

2. सार्वजनिक कृत्यों को निजी क्षेत्र को आउटसोर्स करने के लिए निम्नलिखित तीन माध्यम वर्णित हैं। ये माध्यम, अवसंरचना के सुधार के अनुरक्षण, संचालन और प्रबंधन में निजी क्षेत्र को अलग-अलग स्तर पर सम्मिलित करने के अवसर प्रदान करते हैं। इसे निम्नलिखित प्रकार की संरचनाओं में किया जा सकता है:-

(क) सेवा अनुबन्ध -

नगरीय स्थानीय निकाय विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ सेवा अनुबन्ध कर सकता है। सेवा अनुबन्ध परिचालन आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होते हैं और प्रायः खरीद, संचालन और अनुरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इन कार्यों में शुल्क संग्रहण, या वाहनों या अन्य तकनीकी प्रणालियों का उपबन्ध और अनुरक्षण जैसे क्षेत्र सम्मिलित हो सकते हैं।

सेवा अनुबन्ध सामान्यतया प्रतिस्पर्धी आधार पर प्रदान की जाती है और कुछ माह से लेकर कुछ वर्षों तक की अल्प अवधि के लिए बढ़ाई जाती है। वे सार्वजनिक अभिकरणों को निजी क्षेत्र की विशेष तकनीकी विशेषज्ञता से लाभ उठाने, कर्मचारीवृन्द (Staffing) के मुद्दों का प्रबंधन करने और संभावित लागत बचत प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। तथापि, सेवा अनुबन्ध के साथ, प्रबंधन और निवेश उत्तरदायित्व पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र का ही रहता है। हालांकि सेवा अनुबन्ध कतिपय लाभ प्रदान करती हैं, लेकिन वे खराब ढंग से संचालित संगठन को प्रभावित करने वाले अंतर्निहित प्रबंधन या लागत संबंधी मुद्दों का समाधान नहीं कर सकती हैं।

(ख) संचालन और प्रबन्धन अनुबन्ध-

सार्वजनिक संचालन अभिकरण आस्ति संचालन और प्रबन्ध का उत्तरदायित्व निजी क्षेत्र को अन्तरित करने के लिए प्रबन्ध अनुबन्धों का उपयोग करती हैं। इन व्यापक करारों में सेवा और प्रबन्ध दोनों पक्ष सम्मिलित हैं और प्रायः वर्द्धित दक्षता और तकनीकी परिष्कार को प्रोत्साहित करने में उपयोगी होते हैं। संचालन और प्रबन्धन अनुबन्ध अल्पकालिक होती हैं, लेकिन प्रायः सेवा अनुबन्ध की तुलना में लंबी अवधि के लिए विस्तारित होती हैं। कान्ट्रेक्टर्स् को या तो नियत शुल्क के आधार पर या प्रोत्साहन के आधार पर भुगतान किया जा सकता है, जहां उन्हें विनिर्दिष्ट सेवा स्तर या प्रदर्शन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रीमियम प्राप्त होता है।

संचालन और प्रबन्धन अनुबन्धों का उपयोग अवसंरचना के स्वामी द्वारा प्रदान किए गए किसी विशिष्ट संयंत्र, सुविधा या सेवा के लिए जिम्मेदारियों को अन्तरित करने के लिए किया जा सकता है। उनके पास सुविधाओं की एक श्रृंखला के प्रबन्धन को सम्मिलित करते हुए व्यापक पहुंच का परिधि क्षेत्र हो सकता है। तथापि, निवेश निर्णयों की जिम्मेदारी सार्वजनिक प्राधिकरण की रहती है। जबकि संचालन और प्रबन्धन अनुबन्धों से सेवा की गुणवत्ता में सुधार की अपेक्षा की जानी चाहिए, लेकिन उनसे सेवा आच्छादन (कवरेज) में सुधार या टैरिफ सुधार को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

(ग) पट्टाकरण-

पट्टे निजी फर्मों को अग्रिम भुगतान या नियत पट्टा भुगतान या राजस्व हिस्सेदारी और आस्तियों के संचालन एवं अनुरक्षण के दायित्व के बदले में सार्वजनिक स्वामित्व वाली आस्तियोंद्वारा उत्पन्न आय के स्रोतों को क्रय का एक साधन प्रदान करते हैं। पट्टे के अधीन प्रचालक, आस्तियों से संगृहीत राजस्व को प्रतिधारित करता है और अनुबन्ध प्राधिकारी को पट्टा शुल्क का भुगतान करता है। पट्टा संव्यवहार संचालन और प्रबन्धन अनुबन्धों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे वाणिज्यिक जोखिम को निजी क्षेत्र के भागीदारों को अंतरित करते हैं, क्योंकि पट्टेदार की लाभ प्राप्त करने की क्षमता अभिहित सेवा स्तरों को पूरा करते हुए, परिचालन लागत को कम करने की इसकी क्षमता से जुड़ी होती है। पट्टे, संचालन और प्रबन्धन अनुबन्धों के समान हैं, जिसमें पूँजी सुधार और नेटवर्क विस्तार का उत्तरदायित्व सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामी की रहती है। यद्यपि कतिपय मामलों में पट्टाकर्ता विनिर्दिष्ट प्रकार की मरम्मत और पुनर्वास के लिए उत्तरदायी हो सकता है। पट्टा करारों को पाँच से पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाए जाने की अपेक्षा की जा सकती है। वे ब्राउनफील्ड अवसंरचना प्रणाली के लिए उपयुक्त हैं जो स्वतंत्र राजस्व स्रोत उत्पन्न करते हैं।

16.1.2 पीपीपी प्रणाली के प्रकार

सम्बन्धित गतिविधि, जोखिम और रियायती अवधि के साथ कुछ प्रचलित पीपीपी मॉडल को नीचे दी गई तालिका में संक्षेपित किया गया है:

प्रकार	उप-प्रकार	मुख्य गतिविधि	स्वामित्व जोखिम	डिजाइन/निर्माण जोखिम	वित्त जोखिम	संचालन जोखिम	सांकेतिक रियायत अवधि (वर्ष)
सीमित निजी सहभागिता	सेवा अनुबन्ध	सौंपे गये विशिष्ट कार्य निष्पादित करना	सार्वजनिक	सार्वजनिक	सार्वजनिक	निजी	कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक
	प्रचालन और अनुरक्षण	प्रचालन और अनुरक्षण	सार्वजनिक	सार्वजनिक	सार्वजनिक	निजी	3 से 5

प्रकार	उप-प्रकार	मुख्य गतिविधि	स्वामित्व जोखिम	डिजाइन/निर्माण जोखिम	वित्त जोखिम	संचालन जोखिम	सांकेतिक रियायत अवधि (वर्ष)
अनुरक्षण संविदा							
	पट्टा	प्रचालन और अनुरक्षण	सार्वजनिक	सार्वजनिक	साझा	निजी	5 से 15
एकीकृत परियोजना विकास और प्रचालन के अवसर	बी.ओ.टी.-वार्षिकी (Annuity)	बिल्ट-ऑपरेट-ट्रान्सफर	सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी	15 से 20
साझेदारी परियोजना विकास और निवेश के अवसर	ओएमडीए	प्रचालन और अनुरक्षण + डेवलपमेंट/एक्सपेंशन	सार्वजनिक	साझा	साझा	निजी	30 से 50
	डी.बी.एफ.ओ.टी.	डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रान्सफर	सार्वजनिक	निजी	निजी	निजी	30 से 45

1. निर्माण-प्रचालन-अन्तरण (बी.ओ.टी.):

"निर्माण-प्रचालन-अन्तरण" (बी.ओ.टी.) एक प्रकार का परियोजना वित्तपोषण और वितरण मॉडल है जिसका उपयोग सामान्यतः अवसंरचना के विकास में किया जाता है। बी.ओ.टी. व्यवस्था में एक निजी संस्था या सहकार(Consortium) एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी सुविधा या अवसंरचना परियोजना के डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। परियोजना का स्वामित्व आम तौर पर सहमत-रियायती अवधि के अंत में सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को वापस अन्तरित कर दिया जाता है।

2. अभिकल्प-निर्माण-वित्तपोषण-प्रचालन-अन्तरण (डी.बी.एफ.ओ.टी.):

"अभिकल्प-निर्माण-वित्तपोषण-प्रचालन-अन्तरण" (डी.बी.एफ.ओ.टी.) एक परियोजना वितरण और वित्तपोषण मॉडल है जिसका उपयोग अवसंरचना के विकास में किया जाता है। 'निर्माण-प्रचालन-अन्तरण' (बी.ओ.टी.) मॉडल के समान, डी.बी.एफ.ओ.टी. में किसी परियोजना के पूरे जीवन चक्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता सम्मिलित होती है। अवसंरचना परियोजना के डिजाइन के लिए निजी संस्था या सहकार (Consortium) उत्तरदायी होता है। इस मॉडल में सुविधा के निर्माण और संचालन के लिए विस्तृत योजनाओं की संकल्पना और रचना सम्मिलित है।

3. अभिकल्प-निर्माण-अन्तरण (डी.बी.टी.):

डी.बी.टी. एक परियोजना वितरण पद्धति है, जहां एक ही ठेकेदार परियोजना के सम्पूर्ण जीवन चक्र के लिए उत्तरदायी होता है, जिसमें अभिकल्प, निर्माण, प्रचालन और ग्राहक की अंतरण

नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना)

सम्मिलित होता है। डी.बी.टी. का उपयोग प्रायः बड़े पैमाने की परियोजनाओं में किया जाता है, जहाँ ठेकेदार दक्षता और लागत-प्रभावशीलता ला सकता है।



Urban services and infrastructure development projects **MUKHYA MANTRI VAISHVIK NAGARODAY YOJANA**

SCHEME GUIDELINES

Urban Development Department
Government of Uttar Pradesh

2024-25

Contents

1.	BACKGROUND.....	6
2.	CONTEXT	7
3.	VISION, OBJECTIVES & APPROACH	8
4.	SCOPE, DURATION & COVERAGE.....	9
5.	PROJECTS UNDER THE SCHEME.....	10
6.	ELIGIBILITY CRITERIA.....	11
7.	FUNDING PATTERN.....	22
8.	EVALUATION PROCEDURE & TIMEFRAMES.....	28
9.	IMPLEMENTATION STRUCTURE& METHODOLOGY.....	30
10.	OUTCOMES	40
11.	Annexure- 1	41
12.	Annexure-II	46
13.	Annexure-III	47
14.	Annexure-IV	50
15.	Annexure-V	54
16.	Annexure-VI	56

ABBREVIATIONS

A&OE	Administration and Other Expenses
ACC	Autoclaved Aerated Concrete
ACS	Additional Chief Secretary
AI	Artificial intelligence
ASI	Archaeological Survey of India
BMPTC	Building Materials And Technology Promotion Council
BOO	Build-Own-Operate
BOT	Build-Operate-Transfer
C&DS	Construction and Design Services
CAPEX	Capital Expenditure
CFC	Central Finance Commission
COTS	Commercial Of the Shelf
CPWD	Central Public Works Department
CSR	Corporate Social Responsibility
DBFOT	Design-Build-Finance-Operate-and-Transfer Basis
DBT	Direct Benefit Transfer
DHQ	District Headquarter
DLB	Directorate of Local Bodies
DM	District Magistrate
DPR	Detailed Project Report
ECBC	Energy Conservation Building Code
EPC	Engineering Procurement and Construction.
FAR	Floor Area Ratio
FY	Financial Year
GO	Government Order
GPS	Global Positioning System
GRIHA	Green Rating for Integrated Habitat Assessment
IEC	Information Education and Communication
IGBC	Indian Green Building Council
IOT	Internet of Things
LEED	Leadership in Energy and Environmental Design
LOA	Letter of Offer and Acceptance
MC	Municipal Corporation
ML	Machine Learning
MLALAD	Member of Legislative Assembly Local Area Development Scheme
MLCP	Multilevel Car Parking
MPLAD	Members of Parliament Local Area Development Scheme
NIC	National Informatics Centre
NN	Nagar Nigam

Urban services and infrastructure development project
Chief Minister Vaishvik Nagaroday Yojana

NPP	Nagar Palika Parishad
NP	Nagar Panchayat
O&M	Operations and Maintenance
OMDA	Operation Maintenance and Development Agreement
PMC	Project Management Consultancy
PMU	Project Management Unit
PS	Principal Secretary
PTZ	Pan-Tilt-Zoom
PWD	Public Works Department
SE	Superintending Engineer
SFC	State Finance Commission
SUDM	State Urban Digital Mission
SUIC	State Urban Infrastructure Committee
TPQMA	Third Party Quality Monitoring Agencies
TTZ	Taj Trapezium Zone
UDD	Urban Development Department
UIDF	Urban Infrastructure Development Fund
URDFFI	Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation
VGF	Viability Gap Funding
WO	Work Order

I. BACKGROUND

Uttar Pradesh aims to achieve the target of being a \$1.0 trillion economy by 2027. For enabling the economic growth and transition of the state, there is a need for specific focus on improving basic services and quality of life in the urban areas which would facilitate the cities to provide world-class facilities.

As per Census 2011, Uttar Pradesh is the most populous state of India with a total population of 19.95 crore, out of which 15.51 crore live in rural areas and 4.45 crore in urban areas. Thus, about 16.50 per cent of the total population and about 11.8 per cent of the total urban population of India reside in Uttar Pradesh. The decadal growth of urban population during 2001-2011 has been 28.75 per cent as against 31.80 per cent during 1991-2001. By 2024, the urban population of the State is estimated to be 5.83 crore which would mean an increase of 1.38 crore as against 1.09 crore during 2001-2011.




Figure: 01

Since 2019, in order to channelize the growing urban population 112 new Nagar Panchayats have been created while the boundary of 124 Nagar Panchayats has been expanded. 04 Nagar Palika upgraded while 42 Nagar Parishads have been expanded in their boundaries. Further, there has been creation of 3 new Nagar Nigam and boundaries of 7 Nagar Nigams have been expanded. Presently, there are 762 urban bodies in Uttar Pradesh, out of which 17 are Nagar Nigams, 200 are Nagar Parishads and 545 are Nagar Panchayats. However, the distribution of population and land area across the state is not uniform. Nagar Nigams cater to 43 per cent of the total urban population while occupying 24 per cent of the total urban land (as per Census 2011). The cities with population of more than one million comprises about 60% of the total urban population of the state.

Alongwith enhancing the economic potential of the cities in Uttar Pradesh, there is a strong need to enhance urban infrastructure which promotes socio-economic development, focuses on well-being of citizens at large, provide them with an opportunity to work, play and meet and most importantly, there is a need to focus on infrastructure which is targeted for vulnerable sections of the society like specially abled, elderly, women and children. The development in urban infrastructure will enhance the sources of revenue for the urban local bodies and enhance the overall quality of life of the citizens at large.

2. CONTEXT

Socio-economic and utility infrastructure are a vital determinant of overall quality of life of the citizens and form the benchmark against which service delivery are measured. On one hand, they generate additional revenue for the ULBs while on the other they act as public and semi-public spaces for citizens at large. Further, such infrastructure also become an important indicator of the identity of the city. The following are the value additions attributed by such infrastructure projects:

- a) **Economic Vitality:** Well-designed public and semi-public spaces can attract tourists and visitors, boosting the local economy through increased spending in shops, restaurants, and cultural attractions. Additionally, vibrant public spaces can increase property values and attract businesses, contributing to economic vitality and revenue sources for the ULBs.
- b) **Urban Connectivity and Mobility:** Semi-public zones such as transit hubs, pedestrian streets, and mixed-use developments contribute to urban connectivity and mobility. These areas facilitate pedestrian movement, encourage the use of public transportation, and reduce dependency on private vehicles, thereby improving overall mobility within the city.
- c) **Accessibility and Inclusivity:** Public zones are accessible to all residents regardless of their socio-economic status, providing inclusive spaces for people of diverse backgrounds and abilities. Designing these spaces with universal accessibility in mind ensures that everyone can enjoy and benefit from them.
- d) **Cultural and Historical Site Preservation:** Public zones can include landmarks, monuments, and heritage sites that preserve the city's cultural and historical identity. These spaces not only celebrate the city's heritage but also educate local citizens and tourist about its history, fostering a sense of pride and connection to the past.
- e) **Community Interaction and Social Cohesion:** Public spaces like parks, plazas, and squares serve as meeting points for citizens, fostering community interaction and social cohesion. These spaces provide opportunities for people to engage in recreational activities, cultural events, or simply to connect with one another, enhancing the sense of belonging and community identity.
- f) **Health and Well-being:** Accessible green spaces and recreational areas contribute to the physical and mental well-being of citizens. Parks and playgrounds offer opportunities for exercise, relaxation, and stress relief, promoting a healthier lifestyle.
- g) **Disaster Resilience:** Public spaces can serve as emergency shelters or evacuation points during natural disasters or other emergencies. Including these spaces in the master plan helps ensure the city's resilience and preparedness to respond to crises.
- h) **Environmental Sustainability:** Public zones often include green spaces and urban forests, which help mitigate the urban heat island effect, improve air quality, and provide habitat for urban wildlife. These spaces contribute to the overall environmental sustainability of the city by mitigating carbon emissions and supporting biodiversity.

In summary, public and semi-public infrastructure play a vital role in enhancing the liveability, sustainability, and resilience of cities, promoting community well-being, economic prosperity, and cultural enrichment.

3. VISION, OBJECTIVES & APPROACH

3.1 Vision

To ensure homogenous public and semi-public infrastructure in all urban local bodies of Uttar Pradesh through competitive approaches the scheme aims to improve the quality of life of all urban citizens, enhance liveability, create avenues for enhanced municipal revenue and accelerate the contribution of cities in achieving a one trillion-dollar economy as well as preparing the cities for future needs of aspiring urban population.

CM-VNY also aim to scale up the public & semi-public infrastructure created under centre and state scheme across all ULBs in Uttar Pradesh through a “mission to movement” approach.

3.2 Aim and Objectives

1. To ensure access to homogenous and at par public and semi-public infrastructure in all urban local bodies of Uttar Pradesh.
2. To holistically achieve the sustainable development goals established for cities.
3. To create new avenues of municipal revenue for the ULBs, thereby making them financially self-reliant.
4. To encourage investment through PPP/ CSR in ULBs.
5. Undertake an asset inventory at state level for all ULBs.
6. To enhance liveability in all cities of the state and enhance economic opportunities to achieve the objective of \$1 trillion economy.
7. To prepare the cities for providing for future generation of urban citizens.

3.3 Approach

Chief Minister Vaishvik Nagaroday Yojana (CMVNY) adopts a 3E approach of enhancing Economic Growth, Equity and Environment in all urban areas of the state.

- **Economic Growth:** It aims to converge the efforts being made through various Centrally Sponsored Schemes, State Sponsored Schemes, Viability Gap Fundings, Public Private Partnership developmental agencies for developing public and semi-public infrastructure in all the ULBs of the state.
- **Equity:** It aims to create a benchmark for availability of public and semi-public infrastructure across all ULBs of the same category in the state.
- **Environment:** CM-VNY aims to develop Green Spaces, City Forest, Arboriculture, Wetlands etc. to enhance the livability in urban areas which would help in Climate Change adaption and mitigation and carbon sequestration.




Figure:02

4. SCOPE, DURATION & COVERAGE

4.1 Scope

- Under the scheme, new projects shall be considered. New building blocks add value to the existing premises/complex may be considered under the scheme. Only under Special Circumstances and with approval from State Urban Infrastructure Committee (SUIC) expansion of existing premises will be considered.

4.2 Duration

The scheme will be implemented for five years, starting from FY 2024-25.

4.3 Coverage

The coverage of the scheme is across all 762 urban local bodies of Uttar Pradesh.

5. PROJECTS UNDER THE SCHEME

1. Broadly under CM-VNY, projects under the following category would be considered:-
2. Other than the list below, UDD may take up any specific project based on approvals by State Urban Infrastructure Committee (SUIC).




A - ADMINISTRATIVE

1. Office Building
2. Co-Working Spaces



B - ECONOMIC

3. Working Women hostel
4. Food Street Hub/ Night/ Weekly Market
5. Kiosk
6. Mechanized and other types of smart parking
7. Skill Development Centre



C - SOCIAL

8. Urban Experience Centre
(Museum/Exhibition Space/Commercial)
9. Town Hall
10. Marriage Hall
11. Senior Care Centre
12. Retirement Home
13. Auditorium/ Art Gallery & Spaces/
Centre for performing Art

14. Multifunctional Space
(Amphitheatre/Community Centre)
15. Café/Book Café
16. Pet Clinic/ Park/ Shelter
17. Urban Fair/ City branding
18. Destitute Homes/Night Shelter
19. Library / Digital Library



D - HEALTH

20. Multi Purpose Sport Facility
21. Open Gym
22. Urban Plaza

23. Rehabilitation/ Diagnostic
Center/Wellness Center/Yog Shala
24. Creche



F - ENVIRONMENT

25. City Forest
26. Smriti / Theme/Children park
/Amusement park/Waste to Wonder Park

27. Urban Wet Land
28. Solar Park
29. Arboriculture/Nursery / Horticulture



E - HERITAGE / INFRASTRUCTURE

30. Heritage street & building conservation.
31. Place making/ Urban Art Décor/Street Furniture

32. Foot Over Bridge
33. Ghat conservation/ rejuvenation
34. C.C. Road with Drains

Figure: 03

6. ELIGIBILITY CRITERIA

All urban local bodies of the state are eligible for the scheme. For the purpose of CM-VNY, ULBs have been divided in three broad categories based on their administrative, jurisdiction and structural and population:-

- CATEGORY 1: Nagar Nigams (population > 3 lakh)
- CATEGORY 2: Nagar Palika Parishads & District Headquarter (above 1 lakh population).
- CATEGORY 3: Nagar Palika Parishads, Nagar Panchayats & District Headquarter (below 1 lakh population)

6.1 Category I

All Nagar Nigams (population > 3 lakh) (as per Census 2011) of the state are eligible to participate in the scheme, on fulfilling the following conditions.

1. Project approvals will be on first come-first serve basis.
2. In a financial year, Minimum allocation per Nagar Nigam will be Rs 2.5 Crore whereas maximum allocation will be is Rs. 50 Crore.
3. Self-revenue (Tax & Non-Tax) collection to be increased by more than 25% over the previous year (base year 2022-23).
4. Budget allocation will be made per urban local body in proportion to population (weightage 90%) and area (weightage 10%).
5. In the case of Extraordinary conditions additional grant upto maximum Rs 100.00 Crore may be granted per ULB, based on the following condition:-
 - a) More than 50% (Tax and Non Tax) revenue increase by ULB over previous year (base year 2022-23)
 - b) Innovative Projects
 - c) Revenue Generating Projects
 - d) Projects with national or international importance
6. Projects fully funded by private partners under the Public-Private Partnership (PPP) mode will be taken up first and provided approval "on

priority". Further, priority will be given to projects who utilise MPLAD/MLALAD funds and funds from Convergence from other schemes by other departments.

7. In areas, where there are on-going Central or State Sector schemes are being implemented, it is mandatory to ensure convergence of the proposed projects under CM-VNY.
8. ULB shall undertake gap assessment based on Urban and Regional Development Plan Formulation and Implementation (URDPFI) Guidelines and submit proposal accordingly.
9. ULB shall prepare City Infrastructure Vision Plan as detailed in Annexure-IV.
10. Prior to submission of the project for approval, the ULBs will undertake a financial feasibility analysis and social & environment impact assessment (wherever applicable), the report shall be submitted along with the project.
11. Encumbrance free land shall be made available by the ULB for construction of the projects.
12. All Commercial projects cost above Rs. 5 Crore shall adhere to Energy Conservation Building Code (ECBC), Ministry of Power.
13. Provision to be made for O&M in PPP mode based on PPP practices as detailed in section 7.2 of the guidelines.
14. Project deploying sustainable construction technologies as listed by Building Material and Technology Promotion Council (BMTPC) and Centre Public Works Department (CPWD) shall be given priority.

All ULBs under Category I are eligible to choose from the following projects based on the priority given in City Infrastructure Development Plan:

Table: 01

STREAM-1	STREAM-2	STREAM-3
<ol style="list-style-type: none"> 1. Office Building 2. Library / Digital Library & Study Center 3. Mechanized and other types of smart parking 4. Senior Care Center 5. Working Women Hostel 6. Multipurpose Sport Facilities 7. Retirement home 8. Marriage Hall 9. Food Street Hub/ Night/ Weekly Market 10. Pet clinic / park/ Shelter 11. Open Gym 12. Multifunctional Spaces (Community Centre/ Amphitheatre) 13. Kiosk 14. Arboriculture / Nursery / Horticulture 15. Smriti / Theme/ children park/ amusement park/ Waste to Wonder Park 16. City Forest 17. Solar Parks 18. C.C. roads with drain* 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Co- Working space 2. Town Hall 3. Café/Book Café 4. Auditorium/ Art Gallery & Spaces/ Centre for performing Art 5. Experience Centre (Museum/Exhibition Space/ Commercial) 6. Fair/ city branding 7. Ghat Conservation /Rejuvenation 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Creche 2. Urban Plaza 3. Heritage street & building conservation. 4. Place making/ Urban Art Décor/Street Furniture 5. Foot Over Bridge 6. Rehabilitation/ Diagnostic / Wellness Centre/Yog Shala 7. Urban Wet Land 8. Destitute Homes/ Night Shelter 9. Skill Development Center

Note:

- ULB's can add any other specific project apart from the list above as per their requirement & approval by State Urban Infrastructure Committee formed under CM-VNY.
- *Under CM-VNY projects category "CC roads with drains" can also be selected by the ULB's on either of the following conditions:

- Maximum of 10% of the sanctioned amount per ULB under the scheme.
- OR
- 10% of Proportionate increase in Revenue collection from last financial year. (above the qualifying criteria)
- Least amount of the above shall be sanctioned.

6.2 Category II

The category comprises of Nagar Palika Parishads and District Headquarters with more than 1 lakh population (as per Census 2011) on fulfilling the following conditions:

1. Project approvals will be on first come-first serve basis.
2. In a financial year Minimum allocation per ULB for Category II will be Rs. 25 lakhs and maximum allocation will be Rs. 20 crore.
3. Self-revenue (Tax & Non Tax) collection to be increased by more than 15% over the previous year (base year 2022-23).
4. Budget allocation will be made per urban local body in proportion to population (weightage 90%) and area (weightage 10%).
5. Projects fully funded by private partners under the Public-Private Partnership (PPP) mode will be taken up first and provided approval 'on priority'. Further, priority will be given to projects who utilise MPLAD/MLALAD funds and funds from Convergence from other schemes by other department .
6. In areas, where there are on-going Central or State Sector schemes are being implemented, it is mandatory to ensure convergence of the proposed projects under CM-VNY.
7. ULB shall undertake gap assessment based on Urban and Regional Development Plan Formulation and Implementation (URDPFI) Guidelines and submit proposal accordingly.
8. ULB shall prepare City Infrastructure Vision Plan as detailed in Annexure-IV.
9. Prior to submission of the project for approval, the ULBs will undertake a financial feasibility analysis and social & environment impact assessment (wherever applicable), the report shall be submitted along with the project.

10. Encumbrance free land shall be made available by the ULB for construction of the projects.
11. All Commercial projects cost above Rs. 5 Crore shall adhere to Energy Conservation Building Code (ECBC), Ministry of Power.
12. Provision to be made for O&M in PPP mode based on PPP projects as detailed in section 7.2 of the guidelines.
13. Project deploying sustainable construction technologies as listed by Building Material and Technology Promotion Council (BMTPC) and Centre Public Works Department (CPWD) shall be given priority.

All ULBs under Category II are eligible to choose from the following projects based on the priority given in City Infrastructure Development Plan:

Table: 02

STREAM-1	STREAM-2	STREAM-3
<ol style="list-style-type: none"> 1. Office Building 2. Library / Digital Library/Study Center 3. Marriage hall 4. Multipurpose Sport Facilities 5. Food Street Food Hub/Night/Weekly Market 6. Pet clinic / park/ Shelter 7. Multifunctional Spaces (Community Centre/Amphitheatre) 8. Kiosk 9. Arboriculture / Nursery / Horticulture 10. Smriti / Theme Children Park /Amusement Park/ Waste to Wonder Park 11. Solar Parks 12. C.C. Road with Drain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Town Hall 2. Café/Book Café 3. Experience Centre (Museum/Exhibition Space/Commercial) 4. Fair/ City branding 5. Ghat Conservation/ Rejuvenation 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Heritage street & building conservation. 2. Place making/ Urban Art Décor/ Street Furniture 3. Foot over Bridge 4. Rehabilitation/ Diagnostic Centre/Wellness center/Yog Shala 5. Skill Development Center 6. City Forest 7. Destitute Homes/ Night Shelter 8. Urban Wet Land

Note:

- ULB's can add any other specific project apart from the list above as per their requirement & approval by State Urban Infrastructure Committee formed under CM-VNY.
- *Under CM-VNY projects category "CC roads with drains" can also be selected by the ULB's on either of the following conditions:
 - Maximum of 10% of the sanctioned amount per ULB under the scheme.
OR
 - 10% of Proportionate increase in Revenue collection from last financial year. (above the qualifying criteria)
 - Least amount of the above shall be sanctioned.

6.3 Category III

The category comprises of Nagar Palika Parishads, all Nagar Panchayats & District Headquarters with less than 1 lakh population (as per Census 2011), on fulfilling the following conditions:

1. Project approvals will be on first come-first serve basis.
2. In a financial year Minimum allocation per ULB for Category III will be Rs. 10 lakhs and maximum allocation will be Rs. 5 crores
3. Self-revenue (Tax & Non Tax) collection to be increased by more than 10% over the previous year (base year 2022-23)
4. Budget allocation will be made per urban local body in proportion to population (weightage 90%) and area (weightage 10%).
5. Projects fully funded by private partners under the Public-Private Partnership (PPP) mode will be taken up first and provided approval 'on priority'. Further, priority will be given to projects who utilise MPLAD/MLALAD funds and funds from Convergence from other schemes by other department.
6. In areas, where there are on-going Central or State Sector schemes are being implemented, it is mandatory to ensure convergence of the proposed projects under CM-VNY.
7. ULB shall undertake gap assessment based on Urban and Regional Development Plan Formulation and Implementation (URDPFI) Guidelines and submit proposal accordingly.
8. ULB shall prepare City Infrastructure Vision Plan as detailed in Annexure-IV.
9. Prior to submission of the project for approval, the ULBs will undertake a financial feasibility analysis and social & environment impact assessment (wherever applicable), the report shall be submitted along with the project.
10. Encumbrance free land shall be made available by the ULB for construction of the projects.

11. All Commercial projects cost above Rs. 5 Crore shall adhere to Energy Conservation Building Code (ECBC) Ministry of Power.
12. Provision to be made for O&M in PPP mode based on PPP practices as detailed in section 7.2 of the guidelines.
13. Project deploying sustainable construction technologies as listed by Building Material and Technology Promotion Council (BMTPC) and Centre Public Works Department (CPWD) shall be given priority.

All ULBs under Category III are eligible to choose from the following projects based on the priority given in City Infrastructure Development Plan:

Table 03

STREAM-1	STREAM-2	STREAM-3
<ol style="list-style-type: none"> 1. Office Building 2. Library / Digital Library/Study Center 3. Marriage hall 4. Multipurpose Sport Facilities 5. Multifunctional Spaces (Community Centre/Amphitheatre) 6. Solar Parks 7. C.C. Road with Drain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Food Street Food Hub/Night/Weekly Market 2. Pet clinic / park/ Shelter 3. Ghat Conservation /Rejuvenation 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urban Wet Land 2. Rehabilitation/ Diagnostic Centre / Wellness Centre/Yog Shala

Note:

- ULB's can add any other specific project apart from the list above as per their requirement and approval by State Urban Infrastructure Committee formed under CM-VNY.
- *Under CM-VNY projects category "CC roads with drains" can also be selected by the ULB's on either of the following conditions to be followed for funds sanctioning:
 - Maximum of 10% of the sanctioned amount per ULB under the scheme.
 - OR
 - 10% of Proportionate increase in Revenue collection from last financial year. (above the qualifying criteria)
 - Least amount of the above shall be sanctioned.

6.4 Challenge Criteria

Under the scheme, the criteria for selection of projects in category 1, 2 and 3 for ULB will be as follows::

1. Eligibility Criteria Based on Revenue

Criteria	NN Population > 3 lac	NPP & DHQ Population >1 Lac	NPP, NP & DHQ Population <1 Lac
Revenue Increase (minimum) (Tax & Non Tax)	25%	15%	10%

Table: 04

2. Criteria for budget allocation based on population (weightage 90%) and area (weightage 10%) among the above eligible bodies:

Criteria	NN Population > 3 lac	NPP & DHQ Population >1 Lac	NPP, NP & DHQ Population <1 Lac
Minimum Grants per ULB (in INR)	250 lacs	25 lacs	10 lacs
Budget allocation-per urban local body	population (weightage 90%) and area (weightage 10%)	population (weightage 90%) and area (weightage 10%)	population (weightage 90%) and area (weightage 10%)
Maximum Grant per ULB (in INR)	50 Crore	20 Crore	05 Crore

Table: 05

3. Special circumstances criteria

Criteria	NN Population > 3 lac	NPP & DHQ Population >1 Lac	NPP, NP & DHQ Population <1 Lac

Urban services and infrastructure
development project Chief Minister Vaishvik Nagaroday Yojana

Maximum (Rs. 100Cr) fund release per ULB in Extra ordinary condition	<ul style="list-style-type: none"> • Revenue increase >50% • Innovative projects • Revenue Generating projects. • International and National Importance Project
Fund sources (Min 10%) (optional)	CFC/SFC/MPLAD/MLALAD/CSR/UIDF/Municipal Bonds/ any other sources like UIDF etc.
Funds Convergence through other Department	Higher priority will be given to project
Hybrid Technology	Higher priority will be given to project using New technology and material as listed by CPWD & BMTPC under MoUHA.
ECBC Compliance	All Commercial projects above Rs. 5 Crore shall adhere to Energy Conservation Building Code (ECBC), Ministry of Power..

Table: 06

7. FUNDING PATTERN


7.1 Budgetary Allocation

The scheme will be implemented for five years starting from FY 2024-25. In FY 2024-25, a sum Rs. 500 Crore against departmental demand of Rs. 1000 crore has been allocated for the scheme.

The distribution of the allocated sum amongst the ULBs will be proportionate to the area, population, and socio-economic composition of the ULBs. Funding for each project under the scheme shall be capped depending on the category of ULB, beyond which the ULB may use its own resources or explore alternative funding mechanisms.

Funds for the scheme can also be accessed from UDIF/ Financial Intermediaries and external aid/multilateral agencies/municipal bond, amongst other. Projects with recurring expenditure will not be allowed under this scheme. The following allocation structure has been decided for FY 2024-25 against the sanctioned budget:

- a) Category I- All Nagar Nigams (Population greater than 3 lacs): 40 percent of the total budgetary allocation have been reserved for Category I.
- b) Category II- Nagar Palika Parishads and District headquarters with more than 1 lakh population: 40 percent of the total budgetary allocation have been reserved for Category II.
- c) Category III- Nagar Palika Parishads, Nagar Panchayats & District Headquarter with less than 1 lakh population: 20 percent of the total budgetary allocation have been reserved for Category III.



- d) Budget allocation will be made per urban local body in proportion to population (weightage 90%) and area (weightage 10%).
- e) The approved budget allocation for Nagar Nigam, Nagar Palika Parishad and Nagar Panchayats can be changed as per requirement of the scheme by the Hon'ble Minister, Urban Development Department.

7.2 Project Implementation Matrix

For Selection of Consultants & Developers for PPP Projects under the Scheme, the PPP Guidelines by the Department of Infrastructure & Industrial Development, Government of Uttar Pradesh, 2016, amended in 2018 shall be followed.

Based on the feasibility study and presence of relevant partners, the ULB can consider opting for any project from the selection matrix to be implemented in PPP mode. The following modes of implementation are suggested, however, in certain cases on PPP mode, part funding the projects is permissible, as highlighted in the table below:

Table: 07

#	Project / description	Funded by	Maintenance	Implementation model
A	Administrative			
A1	Office Building	PPP / UDD / NN	Concerned department	DBFOT
A2	Co- Working space	PPP	PPP	DBFOT
B	Economic			
B1	Working Women Hostel	PPP	PPP	O&M / DBFOT / Concession Model
B2	Food Street Hub/ Night/ Weekly Market	PPP	PPP	O&M / DBFOT / Concession Model
B3	Kiosk	PPP	PPP	O&M / DBFOT / Concession Model
B4	Mechanized and other types of smart parking	PPP	PPP	O&M / DBFOT / Concession Model
B5	Skill Development Centre	UDD/ULB/CSR	PPP	O&M / DBFOT / Concession Model

Urban services and infrastructure
development project Chief Minister Vaishvik Nagaroday Yojana

C	Social			
C1	Experience Centre (Museum/Exhibition Space/Commercial)	UDD/ CSR	NN / NP / NPP	O&M
C2	Town Hall	UDD / Convergence	NN/ NPP	O&M
C3	Marriage hall	UDD / Convergence	SHG / PPP	O&M / DBFOT
C4	Senior Care Centre	CSR / UDD / PPP	SHG / PPP	DBFOT
C5	Retirement home	CSR / UDD / PPP	SHG / PPP	DBFOT
C6	Auditorium/ Art Gallery & Spaces/ Centre for performing Art	UDD / CSR	NN / NP / NPP	O&M
C7	Multifunctional Space (Amphitheatre/Community Centre)	UDD / CSR	NN / NP / NPP	O&M
C8	Café/Book Cafe	UDD / CSR	NN / NP / NPP	O&M
C9	Pet Clinic/ Park/ Shelter	UDD/ULB	PPP/Lease/ Service Contract	DBT
C10	Fair & City Branding	UDD/ULB	ULB	BOO
C11	Destitute Homes/ Night Shelter	UDD/ULB	ULB	BOO
C12	Library / Digital Library/ Study Centre	PPP	PPP	O&M / DBFOT / Concession Model
D	Health			
D1	Multipurpose Sports Facilities	PPP	PPP	O&M / DBFOT / Concession Model
D2	Open Gym	PPP / CSR	PPP / CSR	O&M / DBFOT / Concession Model
D3	Urban Plaza	PPP	PPP	O&M / DBFOT / Concession Model
D4	Rehabilitation/ Diagnostic Center/Wellness Center/Yog Shala	UDD/ULB/PPP	PPP	O&M / DBFOT / Concession Model
D5	Creche	UDD / CSR / Convergence	NN / NP / NPP	DBFOT

E	Environment			
E1	City Forest	UDD /ULB	ULB	BOO
E2	Smriti / Theme/ Children Park /Amusement Park/ Waste to Wonder Park. Park	UDD / CSR / Convergence	NN / NP / NPP	O&M / DBFOT
E3	Urban Wet Land	UDD /ULB	ULB	BOO
E4	Solar Parks	UDD/ULB/PPP	ULB	O&M
E5	Arboriculture / Nursery / Horticulture	UDD/ULB	ULB	BOO
F	Heritage / Infrastructure			
F1	Heritage street & building conservation	UDD / CSR	NN / NP / NPP	O&M
F2	Place making/ Urban Art Décor/Street Furniture	UDD / CSR	NN / NP / NPP	O&M
F3	Foot Over Bridge	UDD / MC	NN / NP / NPP	O&M
F4	Ghat Conservation/Rejuvenation	UDD/ ULB	ULB	DBT
F5	C.C. Roads with Drain	UDD/ULB	ULB	O&M

Note: The details on prevalent models in PPP mode are at Annexure-06 on "Prevalent PPP models".

7.2.1 Directives for PPP for the ULBs

The ULBs shall adhere to the following directives while considering a PPP project:

- a) The ULBs shall determine the use of any model as illustrated in table or as per their project requirement.
- b) The ULB can consider any other mode of execution in PPP as deemed fit depending upon the project viability and feasibility as ascertained by them.

- c) If the ULB provides Funds, Grant, or any form of monetary support as VGF to the private agency under this scheme, the same shall be done in concurrence with the PPP Guidelines by the Department of Infrastructure & Industrial Development, Government of Uttar Pradesh, 2016, amended in 2018.
- d) Funds shall be only used for the construction related activities of the project which it is intended for, Salary, administrative and other expenses shall not be utilized from the funds given by the ULB or state government under CM-VNY.
- e) The overall supervision of the scheme shall be done by the concerned ULB.
- f) Encumbrance free Land shall be provided by the ULB. In case where the private partner has land, ULB will help in getting necessary clearance and NoC for construction for the project.
- g) Signing of Additional contract for project, operation and maintenance related to the scheme shall be done by the ULB.
- h) Incase the funding private partner wants to obtain the right of naming of the project, prior approval of the Board of the ULB must be sought.
- i) The Project shall be on transferrable basis only and the department will retain all the infrastructure and assets after the lease period of the project is over.

7.3 Convergence with other schemes

ULBs are permitted to propose projects in convergence with other schemes being run by various departments of Government of Uttar Pradesh. Such projects, where convergence is being achieved will be given preference for approval by the State Urban Infrastructure Committee. The infrastructure of projects under other department may be developed by the Urban Development Department after which the ownership, operation and maintenance of such project will be transferred back to the concerned department providing the convergence fund. In areas, where there are on-going Central or State Sector schemes are being implemented, it is mandatory to ensure convergence of the proposed projects under CM-VNY.

7.4 Other sources of Funding

Apart from the budgetary allocation by the State Government and PPP, the ULB may explore other options to fund their projects. Some of the probable sources of funding projects are:

1. CSR funds
2. CSO grants
3. Grants by International Development Agencies
4. Hon'ble MP/MLA Development Funds
5. Urban Infrastructure Development Fund (UIDF)
6. Municipal Bonds

7.5 Accountability Mechanism

The following mechanism shall be embedded in the implementation structure to ensure accountability and transparency: -

1. ***Geo tagging & Drone Mapping:*** All projects under CM-VNY, shall be geo-tagged. Drone mapping shall be undertaken to collect accurate, real-time data on project locations, progress, and quality, ensuring precise documentation and visual evidence for all stakeholders.
2. ***Urban Infrastructure Directory & Data Base:*** A comprehensive urban infrastructure directory and database to centralize information on all projects shall be created, facilitate easy access, management, and tracking of infrastructure assets and activities in convergence with State Urban Digital Mission.
3. ***Online Monitoring through mobile application:*** SUDM shall Develop a mobile application for real-time online monitoring of projects, enabling stakeholders to track progress, report issues, and receive updates directly on their mobile devices.
4. ***Account Operation & Management:*** Account Operation and Management shall be undertaken in accordance with Finance Department's Government Order No. A-1-122/10-2012-10(33)-2010 dated March 21, 2012.
5. ***Continuous monitoring at ULB level:*** Urban Local Body (ULB) shall ensure continuous monitoring at their level to ensure day-to-day oversight of projects, allowing for timely interventions and adherence to project timelines and standards.
6. ***A&OE for monitoring:*** The funding requirement for putting in place the accountability mechanism, shall be met from A&OE expenses under CM-VNY.
7. ***Citizen Participation and Stake holder consultation:*** ULB's must Encourage active citizen participation and stakeholder consultation throughout the project lifecycle to gather feedback, foster transparency, and build community trust and support.
8. ***Third party Quality Monitoring Agency (TPQMA):*** Shall be undertaken by the ULB on a regular basis for continuous monitoring of the project.

8. EVALUATION PROCEDURE & TIMEFRAMES

8.1 Evaluation Matrix

For evaluation of the projects received from ULBs, the following evaluation matrix would be used:

Vaishvik Nagaroday Yojna Marking Matrix for project selection		
#	DESCRIPTION	MARKS
1	The project is listed in Annexure 1 of guideline	10
2	<i>The proposal has incorporated green / sustainable techniques</i>	
2.1	Solar power plant with minimum 100% capacity required load of building	10
2.2	Solar power plant with minimum 50% capacity required load of building	5
2.3	Proposed rain water harvesting with catchment area minimum 100% of covered area of proposed building	5
2.4	use of ACC blocks in atleast 50% of the total masonry work	5
2.5	No tree cutting due to project (Min girth as per norms)	5
3	<i>use of convergence fund</i>	
3.1	<5 Lac (Rs.)	5
3.2	5 lac to 10 Lac (Rs.)	10
3.3	>10 Lac (Rs.)	15
4	proposal complied as per ECBC (Energy Conservation Building Code)	5
5	Projects with 10% funds from MPLAD/MLALAD	15
6	Projects developed in PPP mode	15
7	Projects Proposed using new construction technology listed by CPWD/BMTPC	10
8	Commitment for 5 years from the ULB in escrow account	5
Total Marks		100

Table: 08

8.2 Timeline of the Scheme

- a) The scheme will start from the financial year 2024-2025 and will be valid for a period of 5 years.
- b) The projects sanctioned under the scheme are to be completed before the end of each financial year.
- c) Barring unavoidable force majeure circumstances like natural disaster, site dispute etc., if the project is not completed within the stipulated time limit, no other amount for any other scheme will be made available to the Urban Local body until the approved project is completed also the responsibility for the delay will also be determined.
- d) For FY 2024-25, the following timeline will be adhered to:

Table: 09

#	Task	Important Days
1.	Cabinet & GO	June 2024
2.	Training and Offloading of Scheme.	July 2024
3.	Challenge opening date	August 2024
4.	Finalization and Approval of Project	September 2024
5.	Tendering / LOA to be issue	October 2024
6.	Review of Ongoing Project	February 2025
7.	Construction to be completed	The period of issuance of LOI is 12 to 18 months after issue.

Note:

1. Conditional approval for extension in project can be given upto 18 months.
2. Member Secretary will monitor progress on Monthly Basis
3. Quarterly review of ongoing projects will be done by SUIC.

9. IMPLEMENTATION STRUCTURE & METHODOLOGY

9.1 Hierarchy of Implementing Structure

CM-VNY shall follow a two-tier implementation structure, wherein the projects shall be submitted by respective ULBs to the DLB after the approval of the respective committee of the ULB. After the approval of DLB the project shall be submitted to State Urban Infrastructure Committee for approval.

The two-tier implementation structure is as follows:




Figure: 05

9.1.1 State Urban Infrastructure Committee (SUIC)



Hon'ble Minister (Urban Development)
to monitor, supervise and advise on the overall implementation of the Scheme.

Figure: 06

After the assessment by the Directorate of Urban Local Bodies, the projects shall be tabled for consideration of the State Urban Infrastructure Committee. The Committee shall be responsible for overall implementation of the scheme, continuous monitoring and ensuring inter-departmental coordination wherever required. The scope of work of the committee shall be:

- a) State Urban Infrastructure Committee (SUIC) will provide overall guidance and directions for the implementation of the Scheme.
- b) The Committee shall provide overall approval of projects for construction.
- c) The Committee shall undertake continuous and comprehensive monitoring of approved projects.
- d) From time to time, as deemed necessary, the Committee shall issue necessary guidelines / directions.
- e) The Committee shall enable for inter-departmental coordination and convergence.
- f) The Member Secretary of the Committee shall be responsible for undertaking monthly reviews of the projects to ensure smooth implementation.
- g) Hon'ble Minister (UDD) and Chief Secretary, GoUP will review the progress as and when required.

- h) Annual Progress Report submitted to be placed mandatory in public domain (Department Website).**

9.1.2 Project Formulation Committee

- At the level of the ULB, a project formulation committee shall be formed which will be responsible for formation of project DPR.
- In case of Nagar Nigam Projects will be approved by the committee constituted at the Civic body level under the chairpersonship of Mayor under 15th Central Finance Commission. Proposed DPR shall be approved by the committee, and to be submitted to DLB.
- In case of Nagar Panchayats and Nagar Palika Parishads the committee shall be headed by the respective District Magistrates. Proposal DPR will be approved by the committee, and to be submitted to DLB.

a) Committee Structure for Nagar Nigam's

1.	Mayor	Chairperson
2.	Municipal Commissioner	Member Secretary/Convener
3.	District Magistrate	Member
4.	Vice Chairperson of Development Authority	Member
5.	S.E. PWD nominated by Divisional Commissioner	Member

Table: 10

b) Committee Structure for Nagar Palika Parishads and Nagar Panchayats

1.	District Magistrate	Chairperson
2.	Executive Engineer	Member
3.	Executive officer	Member
4.	Account officer	Member
5.	Any other member nominated by DM	Member

Table: 11

9.2 Project Management Unit (PMU) Formulation & Works.

- a) To assist in carrying out all activities related to the Scheme a Project Management Unit (PMU) will be formed which shall be placed at Directorate of Urban Local Bodies & Report to Director (DLB).
- b) As per requirements, technical experts such as Urban Planner, Urban Designer/Landscape Architects, Civil Engineer, Procurement Expert, etc. will assist ULBs in conceptualising the projects, undertaking technical & financial evaluation of the projects uploaded on the CM-VNY portal. The PMU, shall also evaluate & assist ULBs in preparation of Annual Action Plan..
- c) The proposal shall be submitted for consideration of the State Urban Infrastructure Committee (SUIC) after technical examination by PMU and the Chief engineer DLB.
- d) **The illustrative scope of works of the PMU may include but is not restricted to the following:**
 - i. Technical Appraisal of DPR's
 - ii. Consultation with respect to the CM-VNY schemes
 - iii. Tender Process Management
 - iv. Reporting on Construction activities and Quality control measures
 - v. Handholding & support to ULBs for projects.
 - vi. Monitoring and Evaluation of projects.
 - vii. Capacity building at ULB level.
 - viii. Training exercises for all/stakeholders concerned in the scheme.
 - ix. Technical Knowledge sharing with stakeholder.
 - x. Support in Procurement activities
 - xi. Any other work as directed by the competent authority.

9.3 Implementation Methodology

The following steps highlight the broad implementation structure of the scheme:

- a) A two-tier implementation and monitoring system shall be created under CM-VNY.
- b) The project shall be conceived by the respective ULBs after consultation and approval from their respective committee, undertaking feasibility study and consultation with the private partners.
- c) Suggestion on Proposals may be taken from Hon'ble. MP & MLA before submission.
- d) For the use of funds released under the Infrastructure Development Fund of Urban Local Bodies and the recommendations of the 15th Central Finance Commission for projects undertaken by the Municipal Corporations, the proposal will be approved by the committee already

constituted under the chairpersonship of the Mayor for the Municipal Corporations.

- e) The proposal will be approved by the committee formed under the chairpersonship of District Magistrates in Nagar Panchayats and Nagar Palika Parishad.
 - f) The State Urban Infrastructure Committee shall hold the rights to implement projects based on public interest or may direct respective ULB to prepare such projects
 - g) The project DPRs shall be submitted through an online portal for technical appraisal and further processing.
 - h) Under the overall supervision of Director, DLB, technical appraisal shall be undertaken by the PMU and Chief Engineer DLB.
 - i) The project after getting approval from the State Urban Infrastructure Committee (SUIC) shall be approved by the Urban Development Department. Thereafter the first instalment of the project will be released as per the rules and procedure for technical and financial approval as prescribed by the Finance Department, Government of Uttar Pradesh.
 - j) After receiving approval from the government , the respective urban local body (ULB) shall start the tender process within the definite time limit and issue work order to the concerned bidder (contractor) as per rules.
 - k) The work order (Letter of Award) issued to the implementing agency has to been uploaded on the online portal.
 - l) Contract data of all works/name of work/cost of work/name of contractor/implementing agency and other information will be uploaded on the online portal.
 - m) If for any reason the project completion is delayed, the concerned ULB shall submit a written explanation/justification to the State Urban Infrastructure Committee and make a formal application for a fresh time frame for project completion, and only after approval by the Committee, a fresh time table will be issued for project completion. In case the implementing agency/body delays the project arbitrarily in violation of these directions, the committee may impose fine/action and fix liability as per rules based on merit.
- .

Table: 12

Workflow Matrix:

Action	#	Activity	Timeline (Days) T= Inception day	Tentative Date
PLANNING @ ULB level • Vision plan for 5 Yrs • Annual Action Plan for current FY	1.1	Stakeholder Consultation to understand the requirement of ULB	4	April third Week of FY
	1.2	Check if similar project is not being conceived / approved in any other scheme	3	
	1.3	Finalization of projects in line with Existing Master Plan of City / URDPFI Guideline	3	
	1.4	Check availability of non-encumbered land parcel / location of project to be executed	7	
	1.5	Lum sum project cost to be estimated on the basis of market survey / past experience	5	
	1.6	Final List of identified projects (Vision plan + Annual Action plan) @ Directorate along with Annexure 4 (after approval from concern committee of NN/NPP/NP)	3	
State Level Approval Vision plan for 5 Yrs Annual Action Plan for current FY	2.1	Compilation and categorisation of all Vison plan and Annual Action plan received from all ULB by PMU	3	10th May 2025
	2.2	Approval of Vison plan and Annual Action plan by the @ DLB	3	
	2.3	Approval of Vison plan and Annual Action plan by the SUIC @ UDD	7	
	2.4	Approved Vison plan and Action plan to be sent to @ Director + Order sent to all ULBs by Director DLB for submission of DPR	2	
Detail Project Report • Preparation at ULB Level • submission at state for approval	3.1	Survey of site by identified stakeholder (Topography, soil investigation)	5	10th June 2025
	3.2	Architecture design and space planning + DPR Preparation	15	
	3.3	Compilation of DPR as per Checklist attached in guideline Annexure – 5	3	
	3.4	Approval of project by existing committee at ULB Level (As per 15th Finance Commission in NN and DM Committee in NPP, NP)	6	
	3.5	Submission of approved project to @ Directorate	2	
Approval of DPR • DLB • SUIC @ Sashan	4.1	Technical and Financial appraisal of DPR by PMU & Chief Engineer DLB	6	15th July 2025
	4.2	Report on received DPR will be presented before the @ Directorate for approval	3	
	4.3	Report from DLB shall be submitted to SUIC @ UDD for Approval	3	

Project Execution and Monitoring	4.4	Project above 5 Cr will be approved as per prevailing guidelines/norms of finance department	15	31st August 2026
	4.5	The first instalment will be sent to the Urban Local Bodies Directorate/Concerned Urban Local Body by government order for the approved project.	7	
	5.1	Tendering of approved project will be done by respective agency	45	
	5.2	WO order to be issued to qualified bidder after as per rules	5	
	5.3	Execution of project to be completed	365	
	5.4	Monitoring of on-going project every month		

9.4 Implementing Agency & Project Modalities

- a) Other important factors such as environmental impact of the project will also be taken into account and additional 10% funds will be allocated for projects with positive environmental impact compliant with Indian Green Building Council (IGBC)/ Green Rating for Integrated Habitat Assessment (GRIHA).
- b) Projects above Rs. 05 Crore under the scheme shall be compliant with the Energy Conservation Building Code, Ministry of Power, Government of India.
- c) Project deploying sustainable construction technologies as listed by Building Material and Technology Promotion Council (BMTPC) and Centre Public Works Department (CPWD) shall be given priority..
- d) The construction project proposed under this scheme shall be compliant to National Building code, Local Building By-Laws and other prevailing guidelines such as masterplan corresponding to the area. as well as adhere to the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act 1973, Uttar Pradesh Special Area Development Authority Act, 1986, Construction Work Regulation Act, 1958,. It will be necessary to obtain NOC and approval for building construction by the concerned Development Authority/Special Area Development Authority/Regulated Area/ULB.
- e) The following directive shall be followed in all the projects related to environment, forest and climate change:-
 1. For non-forestry use of forest land located in the urban area, prior permission will be required from the Government of India under the Forest (Conservation and Promotion) Act, 1980 read with Forest (Conservation and Promotion) Rules-2023.
 2. If this land is found to be located in a wildlife sanctuary/national park, then necessary permissions will have to be obtained from the

National Wildlife Board, New Delhi as well as the Hon'ble Supreme Court.

3. Apart from this, if the urban body area is located 10 km from the boundary of Wildlife Sanctuary/National Park and is located under Eco Sensitive Zone, then the letter no. FC-11/119/2020 of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Forest Conservation Division, Government of India. Environment Clearance, Forest Clearance, and Wildlife Clearance as per FC dated 17.05.2022 will be obtained by the project proponent.
4. For felling of trees located on non-forest land/agricultural land, permission for felling will have to be obtained from the Divisional Forest Officer under the Tree (Protection) Act, 1976.
5. Before establishing the project in the urban area, environmental clearance will have to be taken by the concerned organization as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and as per the Environmental Impact Notification 2006 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, as amended. According to the provisions, it will be mandatory to obtain environmental clearance as per rules from the competent level.
6. It will be mandatory to obtain consent before establishment (for the units related to pollution sources) as per the relevant provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.
7. It will be mandatory to obtain consent before operation (for the units related to pollution sources) as per the relevant provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.
8. In view of online monitoring of the smooth operation of pollution control systems under the urban local body area through the control room established at the Uttar Pradesh Pollution Control Board headquarters, PTZ rotating cameras should be installed at appropriate places in the said units with open access system.
9. Segregation, collection and management of waste generated within the urban local body area will be ensured as per the provisions of the relevant waste management rules issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.
10. Proper environmental management will be ensured within the urban local body area.
11. Compliance with other conditions/provisions set from time to time by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change,

Government of India for the conservation, protection and development of forests and wildlife will also be ensured.

12. Specifically for the ULBs under Agra division, TTZ Permission will be ensured as per rules on matters within the area.
- f) The Executing agency for the construction of the project will be selected as per financial rules.

9.5 Operation & Maintenance

The operation & maintenance of the infrastructure created under this scheme will be done by the concerned urban body. This will be ensured by the local bodies from their own funds/ resources/user charges obtained from the building.

9.6 Administrative & Other Expense (A&OE)

- i. Under the scheme, 02 percent of the total provisioned budget will be reserved for expenditure on PMU, capacity building, Information Education and Communication (IEC), administrative and other items (A&OE).
- ii. Out of 2% reserved 1% shall be reserved at DLB Level. A separate bank account will be opened for the amount reserved at the DLB level. The details of income and expenditure of the account will be maintained by Assistant Director (Accounts), DLB. The Assistant Director (Accounts) will ensure compliances with the relevant financial rules of the said account, the funds available in the account shall be utilised for the following ways:
 - Setting up of Project Management Unit (PMU)
 - For Capacity Building, Information Education and Communication (IEC) and Administrative and Other Items (A&OE).
 - Workshop/Training/Study/Case Study/Stationery and for in-country visit/travel of officials, Project Specialist, Procurement Specialist, Contract Management, Transaction Advisor, Outreach.
 - To develop dashboard for monitoring and other digital and IT initiatives under this scheme.
 - Socio-economic environmental impact assessment studies/research/documentation, publicity at the state level, annual reports etc.
 - Any other works as directed by the SUIC.
- iii. Remaining 1% shall be reserved for ULB's to conducted following activities such as:
 - For Capacity Building, Information Education and Communication (IEC) and Administrative and Other Items (A&OE).

- Outreach for Project Specialist, Procurement Specialist, Contract Management, Transaction Advisor.
- IEC will be encouraged to be done through necessary hoardings, banners, posters, leaflets, photographs/audio-visual mediums, wall painting, street plays through local artists.
- Various activities through Nagar Chaupal for socio-economic environmental impact assessment study/research/recording can be done.
- Payment to the consultant/team working for preparation of DPR and surveys required for DPR preparation.
- Travelling Expenses as per requirement.
- If there is any balance amount reserved at the DLB level, it can be made available to urban local bodies as per the requirement.
- Expenditure on PMU/Capacity Building/IEC and A&OE will be done on the basis of actual expenditure, & which will not be more than 2 percent of the total provisioned budget under the scheme.

9.7 City Infrastructure Plan

Each participating ULB shall prepare a five-year City Infrastructure Vision Plan which would map the existing infrastructure in the ULB and also create a priority list for future infrastructure. Every financial year, starting from FY 2024-25, the ULB shall prepare an Annual Action Plan based on the City Infrastructure Vision Plan. The City Infrastructure Vision Plan shall be approved by the Committee formed at ULB level under the 15th Finance Commission and be submitted to State Urban Infrastructure Committee through Director, ULB for approval. The indicative template of the City Infrastructure Vision Plan is in Annexure- IV.

9.8 Audit and Accounts

- i. Compliance to be ensured to the Go No: A-1-122/10-2012-10(33)-2010 dated March 21, 2012 issued by the Finance Department's, GoUP.
- ii. For PPP projects, compliances will be taken in accordance with the guidelines/government orders/relevant acts and rules issued from time to time by the Infrastructure Development Department in relation to the PPP projects.
- iii. Audit of accounts to be done annually by some recognized agency / Chartered Accountant.
- iv. The work done under the scheme will be subject to the audit as per prevailing Norms.

9.9 Third Party Audit

Third Party Quality Monitoring Agencies (TPQMA): It is envisaged that the ULB would engage TPQMA to ensure quality of construction under various components of the schemes. ULB should draw up their quality monitoring and assurance plans involving third-party agencies. Such plan shall include visits by third party agencies to the project site and to advise State and Urban Local Bodies on quality related issues. On the basis of quality assurance report by such agencies and also reports of their own technical staff, States and ULBs should take both preventive and curative measures to ensure that standard quality infrastructure.

10. OUTCOMES

Following are the outcomes envisaged under this scheme:-

1. The scheme ensures homogeneity in urban infrastructure across the state. All urban population will have access to same level of world class infrastructure proportionate to their living standards and size of the ULB.
2. The scheme shall strive to achieve Sustainable Development Goals.
3. The scheme will enhance liveability in urban areas of the state, enhance environmental sustainability by enhancing green cover. Thus, enhancing climate change mitigation efforts.
4. By improving the infrastructure facilities in the ULBs, it is expected that their contribution in making Uttar Pradesh a \$1 trillion economy will substantially increase.
5. The project conceived under central, and state smart cities will be extended to other Nagar Palika Parishad and Panchayat in form of "Mission to Movement" through CM-VNY.
6. Increase in Investment through PPP/ CSR for ULBs for the projects under the scheme.
7. By creating these assets, it is foreseeable that the revenue sources for the ULBs will increase, improving the financial health and self-reliance of the ULBs.
8. An Inventory of existing infrastructure through online mapping/ documentation of assets under the scheme is created which would help in identifying & monetizing assets.

II. Annexure- I

Indicative area statement of the shortlisted projects:

#	Project Description	ULB Type	Pax/ Capacity	unit	BUA (SqM)	Site Area (SqM)
A	ADMINISTRATIVE					
A1	Office Buildings	NN	90	Seating	1500	2500
		Pop>1 Lac + DHQ	45	Seating	500	850
		Pop <1 Lac	40	Seating	300	500
A2	Co- Working space	NN	90	Seating	600	1000

#	Project Description	ULB Type	Pax/ Capacity	unit	BUA (SqM)	Site Area (SqM)
B	Economic					
B1	Working Women Hostel	NN	100	Bed	4000	3000
		Pop>10 Lac + DHQ	50	Bed	2000	1500
B2	Food Street Hub/ Night/ Weekly Market	NN	-		0	4000
		Pop>10 Lac + DHQ	-		0	2000
B3	Kiosk	NN	10			
		Pop>10 Lac + DHQ	10			

Urban services and infrastructure
development project Chief Minister Vaishvik Nagaroday Yojana

B4	Mechanized & other types of smart parking	NN	100	ECS	800000		
B5	Skill Development Centre	NN	50	Ppl	150	300	
#	Project Description	ULB Type		Pax/ Capacity	unit	BUA (SqM)	Site Area (SqM)
C	SOCIAL						
C1.1	Experience Center (Exhibition Space)	NN	300	ppl	1500	2500	
		Pop>1 Lac + DHQ	150	ppl	750	1250	
C1.2	Experience Center (Urban Museum/Commercial)	NN	400	ppl	2000	3300	
		Pop>10 Lac + DHQ	300	ppl	1500	2500	
C2	Town Hall	NN	200	ppl	1000	3300	
		Pop>1 Lac + DHQ	120	ppl	600	2000	
C3	Marriage hall	NN	400	ppl	1000	3300	
		Pop>1 Lac + DHQ	240	ppl	600	2000	
		Pop <1 Lac	80	ppl	200	660	
C4	Senior Care Center	NN	60	ppl	300	500	
C5	Retirement home	NN	200	DU	9000	22500	
C6.1	Auditorium/ & Spaces/ Centre for performing Art/ Amphitheatre	NN	1000	seating	500	835	
C6.2	Art Gallery & Spaces	NN	300	ppl	1500	2500	
C7	Multifunctional Spaces (Community Centre/MP Hall)	NN	1000	seating	2500	4170	
		Pop>10 Lac + DHQ	600	seating	1500	2500	
		Pop <10 Lac	200	seating	500	835	
C9	Café/Book Café	NN	100	seating	250		
C10.1	Pet Park/ Shelter	NN	-	-	-	4000	

Urban services and infrastructure
development project Chief Minister Vaishvik Nagaroday Yojana

		Pop>10 Lac + DHQ	-	-	-	2000
C10.2	Pet Clinic	NN	-	-	500	420
		Pop>10 Lac + DHQ	-	-	400	335
		Pop <10 Lac	-	-	250	210
C11	Destitute Homes/ Night Shelter	As per Actual Site Condition				
C12	Library / Digital Library	NN	15,000	books	Improvement of existing / new build	
		Pop>10 Lac + DHQ	10,000	books	1000	1700
		Pop<10 Lac	5,000	books	500	840

#	Project Description	ULB Type	Pax/Capacity	unit	BUA (SqM)	Site Area (SqM)
D	Health					
D1	Multipurpose Sport Facilities	NN	9	Court	3000	5000
		Pop>10 Lac + DHQ	6	Court	2000	3400
		Pop<10 Lac	4	Court	1500	2500
D2	Open Gym	NN	15	Equip.	124000	-
D3	Urban Plaza	NN	-	-	1000	10000
D4	Rehabilitation/Diagnostic/ wellness center/Yog Shala	As per Actual Site Condition				
D5	Creche	NN	20	Kids	80	270

Urban services and infrastructure
development project Chief Minister Vaishvik Nagaroday Yojana

#	Project Description	ULB TType	Pax/ Capacity	unit	BUA (SqM)	Site Area (SqM)
E	Environment					
1	City Forest	NN	lump sum budgetary provision			
		Pop>10 Lac + DHQ				
2	Smriti / Theme Park/Children/Amusement /Waste to Wonder Park	NN	-	-	800	40000
		Pop>10 Lac + DHQ	-	-	500	10000
		Pop<10 Lac				
3	Urban Wet Land	NN	lump sum budgetary provision			
		Pop>10 Lac + DHQ				
		Pop<10 Lac				
4	Solar Park	NN	As per UPNEDA Guidelines			
		Pop>10 Lac + DHQ				
		Pop<10 Lac				
5	Arboriculture / Nursery / Horticulture	NN	-	-	200	10000
		Pop>10 Lac + DHQ	-	-	160	8000

#	Project Description	ULB TType	Pax/ Capacity	unit	BUA (SqM)	Site Area (SqM)
F	Heritage / Infrastructure					
F1	Heritage street &building conservation.	NN	As per actual site condition			
		Pop>10 Lac + DHQ				
F2	Place Making/Urban Art Decor/ Street Furniture	NN	As per actual site condition			
		Pop>10 Lac + DHQ				
F3	Foot Over Bridge	NN	1	25 M for 4 Lane	25000000	
		Pop>10 Lac + DHQ			25000000	
F4	Ghat Conservation	NN				

Urban services and infrastructure
development project Chief Minister Vaishvik Nagaroday Yojana

		Pop>10 Lac + DHQ	As per Actual Site Condition
		Pop<10 Lac	
F5	C.C. Roads with Drain	NN Pop>10 Lac + DHQ Pop<10 Lac	<ul style="list-style-type: none"> ○ Maximum of 10% of the sanctioned amount per ULB under the scheme. OR ○ 10% of Proportionate increase in Revenue collection from last financial year. ○ Least amount of the above shall be sanctioned.

12. Annexure-II

Checklist for DPR Evaluation (to be put up in SUIC by PMU)

S.No	Tick	Description
Part A		Project Profile
1		Project Vision and Goals
2		Self-Assessment & Feasibility of Project Report
Part B		Area of Proposal
1		Project Location Summary
2		Approach and Methodology
3		Essential Features & Achievement Plan
5		Necessity of the Project by ULB
6		Innovation
7		Benefits Delivered
8		Project Information to be displayed at site (Scheme Name, Project Name, Executing agency, Project Cost, time line for completion, Officer In-charge contact)
Part C		Implementation Plan
1		Implementation Plan
2		Funds availability with city
3		Fund Requirement from state
4		Percentage of Convergence
5		% of Departmental Funds
6		% of CSR Funds
7		% of Private Funds
8		% of any other Funds (mention)
9		PPP
10		Stake Holder Identification and Role
11		Code and Guidelines compliance
12		Duplicity of project with any other scheme
Part D		Financial Plans
1		Scheduled Itemized Cost
2		All Cost (Analysis Rate, Market Cost, Quotation Rate etc.)
3		Revenue & Pay Back
4		Recovery of O&M
5		Financial Timeline along with Fall Back Plan

Note:

- Optional details can be submitted *
- Above check list shall be made part of the noting while proposing for final approval of project

13. Annexure-III

Checklist for DPR Evaluation to be filled by PMU.

[Project Name - ULB Name]

1. Basic Details	
a) Project Name	
b) Submitted by	ULB Name PMC / Consultant:
c) Date of Receipt	
d) Land Details & ownership document	
2. Brief Project Details	
a) Short narrative of the proposal and the project	
b) Is it covered in the original Action Plan?	
c) Total Cost of the project as per Karya Yojna & the revised cost	
d) Other critical aspects of project for Introduction	
e) Other Critical aspects of project	
f) Gender Centric Approach of the project.	
3. Strategic, Business Plan & economic evaluation	
a) Any alternative Plan considered	
b) Methodology followed/ Rationale for the selection of Business Model (PPP/PPP EPC/CAPEX)	
4. Technical Details	
a) Design fulfilling all Statuary requirements and regulations currently in force and foreseen	
b) Technologies considered as a solution (e.g. iOT/AI/ML/ MLCP/COTS/ open source etc.)	
c) Success story of the technologies (case study)	
d) Survey Report	
e) Utilities Infrastructures details.	
f) Sustainability aspect of the project.	
5. Timelines	
a) Implementation Period	
b) O&M period	
6. Financial Aspects	
a) Project cost & means of Finance (financial closure)	
b) O & M for 5 years	
c) Financial Model IRR /NPV calculations / Financial sustainability	
d) Phasing of expenditure	
e) Cost benefit analysis	
f) Overall Comments on Cost estimates	
7. Project Risks	

a) Identification of potential issues, bottlenecks and/or major risks involved in the project has been technically, economically covered or not	
b) Success /Case studies of similar projects in other Smart Cities	
8. Envisaged outcomes of the project/ Best practices / Innovative technologies / Cutting Edge solutions used	
9. Degree of Detailing Hygiene Factors	
10. Overall Comments Recommendations	
11. Implementing Agency Name:	
12. FAR	
13. Setback as per Norms	
14. Trees (if any) ASI Site (if any) Overhead Transmission Line (if any) Any other details	

Note:

- Above check list shall be made part of the noting while proposing for final approval of project

I4. Annexure-IV

Format for City Infrastructure Vision Plan to be submitted with Vision plan by Each participating ULBs

Urban services and infrastructure development project Chief Minister Vaishvik Nagarodaya Yojana

Urban services and infrastructure development project Chief Minister Vaishvik Nagarodaya Yojana

Urban services and infrastructure development project Chief Minister Vaishvik Nagaroday
Yojana

15. Annexure-V

Checklist for DPR (to be filled by ULBs)

Sr. No.	Description	Yes / No
1	Chapters to be incorporated in the DPR	
1.1	Executive summary of the project and its proposal	
1.2	Introduction	
1.3	About the project	
1.4	Project definition, Concept, Objective and scope of work	
1.5	Feasibility study of the project showcasing expected benefits after execution	
1.6	Location of site with GPS coordinates mentioned in the DPR	
1.7	Requirement and demand analysis of project (Electrical, Water, drainage and other services)	
1.8	Existing site condition with photographs attached in the DPR	
1.9	Engineering survey and investigation	
1.1	Architecture design	
1.1	Structure design	
1.1	Similar case study if added as separate case study *	
1.1	Financial estimates & cost projections on item rate basis	
1.1	Expected Sources of funding	
1.2	Possible Revenue streams	
1.2	Environmental & sustainability aspects	
1.2	Risk assessment and mitigation measures	
1.2	Implementation schedule	
1.2	Statutory clearances	
1.2	Quality management plan *	
1.2	Annexures	
2	Following drawings to be attached	
2.1	Proposed Site plan	
2.2	Proposed Floor plans	

Urban services and infrastructure development
project Chief Minister Vaishvik Nagaroday Yojana

Sr. No.	Description	Yes / No
2.3	Proposed Sections 2 no.	
2.4	Proposed Elevation of at least 2 side	
2.5	Proposed 3D view of proposed built form	
2.6	Structure Framing & Column layout plan	
2.7	Services layout plan	
3	Annexures/ Documents to be added	
3.1	Proposed Finishing schedule to be attached as separate annexure	
3.2	Proposed Sanitation schedule to be added as annexure with DPR	
3.3	DPR should be signed by Executive Engineer, Chief Engineer, Municipal Commissioner	
3.4	Letter from Municipal Commissioner for submission of DPR with project cost to be included in the DPR	
3.5	Project Estimate should be on item rate basis	
3.6	Land ownership to be confirmed and supporting document to be attached in annexure	
4	Detailing to be considered in the proposal	
4.1	In case of any non-schedule items 3 quotations to be added	
4.2	Green building rating system (GRIHA, LEED etc) to be considered	
4.3	Sustainable measures to be highlighted (Solar panel, Under Ground water recharge)	

Note:

- Optional details can be submitted *
- Above check list shall be made part of the noting while proposing for final approval of project.

16. Annexure-VI

16.1.1 Prevalent PPP models

Public Private Partnership or "PPP" is a form of fixed-term contractual arrangement between a public entity on one side and a private entity on the other, for the provision of public assets and/or public services through investments being made and/or management being undertaken by the private entity, may or may not require payment offer by users, for a specified period of time, where there is well defined allocation of risk between the private entity and the public entity and the private entity's performance is contractually obligated to conform (or are benchmarked) to specified and pre-determined performance standards

A wide spectrum of PPP structures has emerged over the years. However, broadly, they are but a variant of the following distinct models. These distinct PPP models are structured basis their relative characteristics with respect to the respective Cardinal Risks being assumed by either the Department or the private sector. These broad PPP models are:

- i. **Limited Private Participation** - Traditionally, governments have relied on public procurement to develop their infrastructure systems. Designated government agencies are vested with responsibility for developing certain types of infrastructure. These agencies typically elaborate plans prioritizing needs and then arrange the financing, design, and construction of individual projects. Once a project is completed, it is then operated and maintained by the agency.
- ii. Following **three approaches** for outsourcing public functions to the private sector are described below. These approaches present opportunities to engage the private sector in varying degrees in the maintenance, operation and management of infrastructure improvements. This may be undertaken in the following types of structures: -
 - A) **Service Contract** - ULB can enter into service contracts with private sector companies for the completion of specific tasks. Service contracts are well suited to operational requirements and may often focus on the procurement, operation, and maintenance. These tasks could include areas such as fees collection, or the provision and maintenance of vehicles or other technical systems.

Service contracts are generally awarded on a competitive basis and extend for short periods of time of a few months up to a few years. They allow public agencies to benefit from the particular technical expertise of the private sector, manage staffing issues, and achieve potential cost savings. Nonetheless, with service contracts, management and investment responsibilities remain strictly with the public sector. While they afford certain benefits, service contracts cannot address underlying management or cost issues affecting poorly run organization.

- B) Operation and Management Contracts** - Public operating agencies utilize management contracts to transfer responsibility for asset operation and management to the private sector. These comprehensive agreements involve both service and management aspects and are often useful in encouraging enhanced efficiencies and technological sophistication. Operation and Management contracts tend to be short term, but often extend for longer periods than service agreements. Contractors can be paid either on a fixed fee basis or on an incentive basis where they receive premiums for meeting specified service levels or performance targets.

Operation and Management contracts may be used to transfer responsibilities for a specific plant, facility or service provided by an infrastructure owner. They may have a broader reaching scope involving the management of a series of facilities. Nonetheless, responsibility for investment decisions remains with the public authority. While operation and management contracts should be expected to improve service quality, they cannot be expected to improve service coverage or encourage tariff reform.

- C) Leasing** - Leases provide a means for private firms to purchase the income streams generated by publicly owned assets in exchange for an upfront payment or fixed lease payment or revenue share and the obligation to operate and maintain the assets. Under a lease, the operator retains revenue collected from the asset and makes lease fee payment to the contracting authority. Lease transactions are different from operations and management contracts in that they transfer commercial risk to the private sector partner, as the lessee's ability to derive a profit is linked with its ability to reduce operating costs, while still meeting designated service levels. Leases are similar to operations and management contracts in that the responsibility for capital improvements and network expansion remains with the public sector owner. However, in certain cases the lessor may be responsible for specified types of repairs and

rehabilitation. Lease agreements can be expected to extend for a period of five to fifteen years. They are suitable for brownfield infrastructure systems that generate independent revenue streams.

16.1.2 Types of PPP Mode

Some of the prevalent PPP models along with associated activity, risks, and concession period are summarized in the table below:

Type	Sub-Type	Main Activity	Ownership Risk	Design/ Construction Risk	Finance Risk	Operation Risk	Indicative Concession period (year)
Limited Private Participation	Service Contract	Performing specific work assigned	Public	Public	Public	Private	Few months to few years
	O&M Contracts	Operation and Maintenance	Public	Public	Public	Private	3 to 5
	Lease	Operation and Maintenance	Public	Public	Shared	Private	5 to 15
Integrated Project Development and Operation Opportunities	BOT-Annuity	Built Operate and Transfer	Public	Private	Public	Private	15 to 20
Partnership Project Development and Investment	OMDA	O&M plus Development/ Expansion	Public	Shared	Shared	Private	30 to 50
	DBFOT	Design, Build,	Public	Private	Private	Private	30 to 45

Opportunities		<i>Finance Operate and Transfer</i>					
----------------------	--	---	--	--	--	--	--

- i. **Build - Operate - Transfer (BOT):** Built Operate Transfer" (BOT) is a project financing and delivery model commonly used in infrastructure development. In a BOT arrangement, a private entity or consortium is responsible for the design, construction, financing, operation, and maintenance of a facility or infrastructure project for a specific period. The ownership of the project is typically transferred back to the government or a public authority at the end of the agreed-upon concession period.
- ii. **Design - Build - Finance - Operate - Transfer (DBFOT):** "Design-Build-Finance-Operate-Transfer" (DBFOT) is a project delivery and financing model used in infrastructure development. Similar to the BOT (Build-Operate-Transfer) model, DBFOT involves private sector participation in the entire life cycle of a project. The private entity or consortium is responsible for the design of the infrastructure project. This model involves conceptualizing and creating detailed plans for the construction and operation of the facility.
- iii. **Design Built Transfer (DBT):** DBT is a project delivery method where a single contractor is responsible for the entire project life cycle, including design, construction, operation, and transfer to the client. DBT is often used in large-scale projects where the contractor can bring efficiency and cost-effectiveness

